वार्षिक रिपोर्ट

1995-96

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
16, महात्मा गांधी मार्ग, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
16 महात्मा गांधी मार्ग, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
द्वारा प्रकाशित तथा नागरी प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110 032
द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	1995-96 के दौरान गतिविधियां—एक अवलोकन	4
अध्याय 3	राष्ट्रीय मुख्यालय	7
अध्याय 4	क्षेत्रीय समितियां	9
अध्याय 5	अनुसंधान परियोजनाएं और कार्यक्रम	11
अध्याय 6	अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक सम्पर्क	17
अध्याय 7	संदर्श योजना	19
अध्याय 8	प्रकाशन	21
अध्याय 9	व्यापारीकरण निवारण	22
अध्याय 10	विनियम	26
अध्याय 11	मार्गदर्शी सिद्धांत, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य अभिकरणों को सम्प्रेक्षण	28
अध्याय 12	लेखा और लेखा परीक्षा	30

अनुबन्ध

I.	भारत का राजपत्र असाधारण—सूचना, 17 अगस्त, 1995	33
II.	कार्यकारिणी समिति	37
III.	क्षेत्रीय समितियों के लिए नीति समन्वय समिति	38
IV.	क्षेत्रीय समितियां—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार	39

V.	पूर्व क्षेत्रीय समिति–रचना	41
VI.	पश्चिम क्षेत्रीय समिति–रचना	42
VII.	उत्तर क्षेत्रीय समिति–रचना	43
VIII.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति–रचना	44
IX.	क्षेत्रीय समितियों के कार्यालयों के पते	45
X.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों सम्बन्धी तालिका–31 मार्च, 1996 तक	46
XI.	सेवारत अध्यापकों के बी. एड. पत्रचार पाठ्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश	48
XII.	1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित विनियम दर्शाने वाला चार्ट	50
XIII.	अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने और नए कार्यक्रम शुरू करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत–राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना	51
XIV.	31 मार्च, 1996 तक की स्थिति अनुसार तुलन पत्र	53

अध्याय

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसके कार्रवाई कार्यक्रम में, पहले कदम के रूप में, शिक्षक शिक्षा प्रणाली की पूरी तरह जांच पर बल दिया गया तथा आवश्यक संसाधनों एवं क्षमतायुक्त एक सांविधिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की ओर संकेत भी किया गया है। इसी के अनुसरण में संसद द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 की संख्या 73) अधिनियत किया गया। इस अधिनियम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना का प्रावधान इस हेतु किया गया ताकि शिक्षक शिक्षा प्रणाली का देश भर में सुनियोजित एवं समन्वित विकास और शिक्षक शिक्षा प्रणाली तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों में मानदण्डों व स्तरों का नियन्त्रण एवं समुचित अनुरक्षण हो सके।

सांविधिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना का सन्दर्भ

शिक्षा अयोग (1964-66) में यह विचार व्यक्त किया गया कि राष्ट्र की नियति का निर्माण कक्षाकक्ष में होता है; राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण साधन है; तथा शिक्षक शिक्षा पर किया गया व्यय बेहतर विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक युक्तियुक्त निवेश है।

शिक्षा आयोग की सिफारिश, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के सम्बन्ध में, तब सार्थक होती प्रतीत हुई जब 1973 में भारत की शिक्षा मन्त्रालय के एक संकल्प द्वारा, केन्द्रीय और राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा के सभी मामलों पर सलाह देने हेतु संघीय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में एक गैर-सांविधिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई, जिसके सदस्य-सचिव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक थे तथा इसका सचिवालय भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में ही था।

अपने गैर-सांविधिक निकाय रूपी अस्तित्व में पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रशंसनीय कार्य किया। इसने शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी मुद्दों के बारे में देशव्यापी चेतना उत्पन्न की तथा 1978 में 'शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय प्रारूप' विकसित किया और 1988 में 'चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा' तथा '+2 चरण हेतु शिक्षक शिक्षा' पर समितियां नियुक्त कीं। फिर भी, यह घटिया स्तर के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के भरपूर प्रसार को रोकने के लिए अनिवार्य नियन्त्रण करने में असमर्थ रही क्योंकि शिक्षा में मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए न ही इसके पास कोई कानूनी हैसियत थी और न ही संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई अधिदेश ही।

1987-88 में 1270 प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएं (670 सरकारी और 600 गैर-सरकारी) और 560 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाएं (113 सरकारी और 447 गैर-सरकारी) थीं। इनमें से केवल कुछ तो अच्छी थीं किन्तु अधिकांश निम्न

कोटि की थीं। इन संस्थाओं में वार्षिक भर्ती क्रमशः लगभग 77,000 और 74,000 थी। इसके अतिरिक्त भारतीय विश्वविद्यालय संघ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श के विपरीत, 19 विश्वविद्यालयों ने बी.एड. उपाधि के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चला रखे थे तथा 1989-90 के दौरान, इनकी भर्ती लगभग 50,000 थी। अध्यापन व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की अनुपात चौंका देने वाली सीमा तक पहुंच चुकी थी। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में तो प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/उपाधि प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को दस वर्ष से भी अधिक समय तक नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। दिसम्बर 1988 में रोजगार कार्यालयों में लगभग 3.2 लाख बी.एड. प्रशिक्षित माध्यमिक स्तर के अध्यापक पंजीकृत थे। मुख्य रूप से, मांग और आपूर्ति में असन्तुलन होने के कारण, इनकी नियुक्ति में अनुपयुक्तताओं और अनियमितताओं के मामले भी सामने आए।

इसी प्रकार की पृष्ठभूमि को समक्ष रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया :

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने और पाठ्यक्रमों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक संसाधनों और सामर्थ्य का प्रावधान किया जाएगा (पैरा 9.6)"; तथा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु बनाए गए कार्रवाई कार्यक्रम के तेईसवें अध्याय में कहा गया :

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् शिक्षक शिक्षा पद्धति का मार्गदर्शन करने में असमर्थ रही है....कुछ कठिनाइयां तो इसकी संरचना में ही अन्तर्निहित हैं। इसका निवारण करने के लिए उसे स्वायत्त एवं सांविधिक प्रतिष्ठा प्रदान की जाएगी "

शिक्षा व्यवस्था में किसी भी वास्तविक सुधार के लिए शिक्षक शिक्षा पद्धति में सुधार एक मूलभूत एवं पूर्ववर्ती शर्त है। जब तक शिक्षक शिक्षा पद्धति अध्यापकों में अपेक्षित व्यावसायिक मूल्यों, ज्ञान और कौशलों का विकास सुनिश्चित नहीं करती, तब तक उन से ऐसे शिक्षा ढांचे को चलाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो परिक्षेत्र और गुणवत्ता की चुनौतियों का सामना करने हेतु पर्याप्त हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को कानूनी हैसियत प्रदान करने का औचित्य उक्त समस्या के कारण ही उत्पन्न हुआ।

इसीलिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को सांविधिक और स्वायत्त निकाय बनाने सम्बन्धी विधेयक संसद में प्रस्तुत एवं पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति की अनुमति 29 दिसम्बर, 1993 को मिली और इसे भारत सरकार के राजपत्र में 30 दिसम्बर, 1993 को प्रकाशित किया गया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचित किया कि यह अधिनियम 1 जुलाई, 1995 से लागू होगा। इसी के परिणामस्वरूप 17 अगस्त, 1995 से 43 सदस्यीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई। इस अधिसूचना की एक प्रति अनुबन्ध I में दी गई है।

अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप केन्द्रीय सरकार ने परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव नियुक्त किए। 1995-96 के दौरान इन पदों पर निम्नलिखित कार्यरत थेः

प्रोफेसर जे. एस. राजपूत	*अध्यक्ष*
प्रोफेसर बी. के. पासी	*उपाध्यक्ष*
श्री सुरेन्द्र सिंह	*सदस्य-सचिव*

परिषद् के कार्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परिषद् को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए :

(क) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण तथा अध्ययन कराना और इनके परिणामों को प्रकाशित करना;

(ख) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रम बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय व राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए सिफारिशें देना;

(ग) देश में शिक्षक शिक्षा और इसके विकास को समन्वित एवं सुनियोजित करना;

(घ) विद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में किसी व्यक्ति के अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना;

(ङ) शिक्षक शिक्षा में किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना, जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता के मानदण्ड, अभ्यर्थियों

के चयन की विधि, पाठ्यक्रम अवधि, पाठ्यक्रम का विषयवस्तु और पाठ्यचर्या की पद्धति सम्मिलित हो;

(च) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन हेतु, नए पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण शुरू करने, भौतिक तथा निर्देशन सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टाफिंग प्रतिरूप और कर्मचारियों की अर्हताओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना;

(छ) शिक्षक शिक्षा अर्हताओं के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं के स्तरों और ऐसी परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु मानकों को निर्धारित करना;

(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभार्य शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना;

(झ) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों और अनुसंधान को प्रोत्साहित व संचालित करना तथा उनके परिणामों को प्रसारित करना;

(ञ) परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों और मानकों के कार्यान्वयन की समय-समय पर जांच व समीक्षा करना तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उचित सलाह देना;

(ट) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उत्तरदायित्व निभाने हेतु समुचित कार्यक्षमता मूल्यांकन विधियों, मानदण्डों और क्रियाओं को विकसित करना;

(ठ) शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए कार्य योजनाओं को निर्मित करना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पहचान करना तथा शिक्षण विकास कार्यक्रमों हेतु नई संस्थाएं स्थापित करना;

(ड) शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना; तथा

(ढ) ऐसे अन्य कार्यों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे सौंपे जाएं, को पूरा करना।

अध्याय

1995-96 के दौरान गतिविधियां एक अवलोकन

1. 17 अगस्त, 1995 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की औपचारिक स्थापना के बाद इसके सामान्य निकाय की पहली बैठक 3 नवम्बर, 1995 को आयोजित की गई, जिसने निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिए:

   - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का गठन तथा उसके कार्यों और प्राधिकार को स्पष्ट करना;
   - चार क्षेत्रीय समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा सदस्य संख्या;
   - सामान्य निकाय की बैठकों सम्बन्धी नियम, क्षेत्रीय समिति के कार्य, क्षेत्रीय समिति द्वारा अपनाई जाने वाली विधि;
   - भारत में शिक्षक तैयारी हेतु प्रयोग में लाई गई भिन्न-भिन्न विधियों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन;
   - पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश को केवल सेवारत अध्यापकों तक सीमित करना; तथा
   - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सन्दर्श योजना।

2. वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिनियम में निर्धारित कार्यों को सम्पन्न करने हेतु संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी मानदण्ड और मानक विकसित करने तथा शैक्षिणिक गतिविधियों के नियोजन सम्बन्धी कदम उठाए गए। जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बंगलौर में चार क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय स्थापित करने के लिए भी प्रशासकीय कदम उठाए गए। क्षेत्रीय निदेशकों की खोज और नियुक्ति तथा उनके सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी की गई।

3. विद्यालयो अध्यापकों द्वारा अपने कार्यों को सकुशलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु जिस ज्ञान व निपुणताओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ ने सिफारिश की कि सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा की प्रथम डिग्री/डिप्लोमा न्यूनतम एक शैक्षणिक वर्ष के लिए, केवल शिक्षक शिक्षा के संस्थानगत आमने-सामने पाठ्यक्रमों के माध्यम से ही होनी चाहिए। परिषद् ने इस सिफारिश को स्वीकार कर, सभी राज्य सरकारों और शिक्षा बोर्डों को इस निर्णय से अवगत कराया। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और गोआ की राज्य सरकारों ने इसे तुरन्त ही अपना लिया।

4. पत्राचार द्वारा बी.एड. का प्रश्न काफी समय से शिक्षाविदों के ध्यान में रहा है और अनेक आयोगों तथा समितियों ने विचार व्यक्त किया है कि पत्राचार द्वारा बी.एड. अध्यापक निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। फिर भी, पत्राचार/दूरवर्ती शिक्षा विधियां सभी स्तरों पर सेवाकालीन शिक्षा के लिए प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी ध्यान दिया, जिस ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के उप-कुलपति प्रोफेसर राम तकवाले की अध्यक्षता में, बी.एड. पाठ्यक्रम को पत्राचार माध्यम से जारी रखने अथवा बन्द करने के बारे में, एक समिति गठित की। समिति ने मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक शृंखला तैयार की। अन्य बातों के साथ-साथ इस पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन शिक्षकों के लिए सीमित करने का प्रावधान रखा, जो कम से कम तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से सेवारत हैं तथा उनके पास पहले से कोई बी.एड. अर्हता नहीं और वे विश्वविद्यालय विशेष के उस अधिकार क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो सम्बन्धित अधिनियम अथवा राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सामान्य निकाय की प्रथम सभा ने 3 नवम्बर, 1995 को अपनाया तथा प्रसारित किया। कुछ प्रारम्भिक हिचकिचाहट के बाद ये मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वीकार कर लिए गए हैं और कुछ विश्वविद्यालयों, जिन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम विज्ञापित की हुई थी, ने भी अपनी व्यवस्थाओं में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, संशोधन किए। उड़ीसा सरकार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए यह निर्णय लिया कि अब किसी भी नई संस्था को अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है।

5. नए विद्यार्थियों को आमने-सामने के अध्यापन सम्बन्धी प्रशिक्षण की आवश्यकता और पत्राचार द्वारा बी. एड. कार्यक्रम को सेवारत अध्यापकों के लिए ही सीमित करने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी की गई। शिक्षक शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों ने अध्यापक के व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की भूमिका, कार्य और निर्णय से अवगत कराया, साथ ही साथ राज्यों के शिक्षा विभागों को भी इनके बारे में व्यक्तिगत पत्रादि, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के साथ वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा सूचित किया।

6. देश भर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास में राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन व्यावहारिक रूप से सम्मिलित हैं। इस प्रयोजन से नियमों में प्रावधान किया गया। शिक्षक शिक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की इच्छुक नई संस्था मान्यता प्राप्ति के लिए अपना आवेदन, सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र के प्रशासन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, प्रस्तुत करें। यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संस्था (क) कोई नया पाठ्यक्रम शुरू करना अथवा (ख) प्रवेश पाने वालों की संख्या बढ़ाना चाहती हो, तो उसे भी परिषद् की अनुमति लेनी होगी। समन्वित परिप्रेक्ष्य स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सूची उपलब्ध करा दी गई है ताकि वे उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय इसे ध्यान में रख सकें। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुमानित संख्या के सन्दर्भ में नई संस्थाओं की आवश्यकता निश्चित करने, विद्यालयों में विभिन्न विषयों की पढ़ाई के लिए आवश्यक अध्यापकों की कमी को पूरा करने, नए और उभर कर आने वाले विशेष विषयों जैसे कम्प्यूटर शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं बनाने और कार्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य के लिए अनुसंधान सम्बन्धी प्रस्ताव आमन्त्रित किए गए। आवश्यक छान-बीन के बाद, आठ अनुसंधान योजनाएं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर चरणबद्ध ढंग से वित्तपोषण के लिए स्वीकार की गई हैं। विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के साथ कार्यगोष्ठियों एवं

संगोष्ठियों को आयोजित करना तथा परियोजनाओं और अध्ययनो को आयोजित करने में सहयोग अर्जित करना भी इसी दिशा में एक अन्य कदम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने वरिष्ठ विद्वानों को, विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार/दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन करने का कार्य सौंपा है।

8. यूनेस्को द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों के व्यावसायिक महत्व के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। शिक्षक प्रशिक्षकों को मानव अधिकारों और विद्यालयी पाठ्यक्रम के राष्ट्रीय प्रारूप के अन्तर्गत मूलभूत पाठ्यक्रम के तत्त्वों में सम्मिलित राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति संवदेनशील बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है और उसके लिए पांच इकाईयों वाले मॉड्यूल विकसित करके मुद्रित कराए गए हैं। शिक्षक शिक्षा प्रणाली के कुछ महत्त्वपूर्ण पहलुओं जैसे अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अहर्ता, शिक्षक शिक्षा में जनशक्ति नियोजन, शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदण्ड तथा शिक्षक शिक्षा को व्यापारीकरण से बचाने के बारे में अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल बनाए गए हैं। निम्नलिखित मुद्दों के लिए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए कार्यगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया :

(क) शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप का पुर्ननिर्माण;

(ख) प्रारम्भिक स्तर पर सक्षमता आधारित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम;

(ग) प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास;

(घ) शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान कार्य हेतु अग्रता क्षेत्रों की पहचान।

9. जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में कई कार्यगोष्ठियों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। विभिन्न शैक्षिक अभिकरणों जैसे इंडियन एसोसियेशन आफ टीचर्स एजुकेटर्स, इंडियन सोसाइटी फॉर कम्यूनिटी एजूकेशन आदि के साथ सम्पर्क सूत्र विकसित किए गए।

10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित '21वीं शताब्दी के शिक्षक' विषय पर प्रथम राष्ट्रीय भाषण यूनेस्को के हैम्बर्ग स्थित शिक्षा संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर आर. एच. दवे द्वारा दिया गया।

11. शैक्षणिक और व्यावसायिक संगठन के रूप में अपने उद्देश्यों और कार्यों के निष्पादन के सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए एक संगठनात्मक ढ़ांचा तैयार करने की आवश्यकता अनुभव करते हुए, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं और वरिष्ठ विद्वानों से पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर, एक सन्दर्श योजना विकसित की गई जो परिषद की सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। सन्दर्श योजना सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार की आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय

राष्ट्रीय मुख्यालय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम में

(क) 43 सदस्यीय सामान्य सभा,

(ख) कार्यकारिणी समिति, और

(ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए समितियों का प्रावधान किया गया है।

(क) सामान्य सभा एक विस्तृत आधार वाला निकाय है जिसमें सम्मिलित हैं संघीय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान के निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य-सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित आयोग का कोई अन्य सदस्य, योजना आयोग के सलाहकार (शिक्षा), केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र के 13 विशेषज्ञ, 3 संसद सदस्य, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 9 प्रतिनिधि, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर और अन्य (अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी) संस्थाओं के 3 अध्यापक। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 3 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 17 अगस्त, 1995 को परिषद् की स्थापना की।

परिषद् की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचना की प्रति अनुबन्ध I पर है जिसमें सदस्यों के नाम दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की सामान्य निकाय ने, परिषद् सम्बन्धो अधिनियम में वर्णित रचना के अनुसार, कार्यकारिणी समिति के गठन का अनुमोदन किया। इस की प्रति अनुबन्ध II में दी गई है। कार्यकारिणी समिति में शिक्षक शिक्षा के 4 विशेषज्ञ और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से नामित किए जाने वाले 4 प्रतिनिधि शामिल हैं।

परिषद् के सामान्य निकाय की पहली बैठक में कार्यकारिणी के कार्यों सम्बन्धी विनियम अनुमोदित किया गया। इस विनियम के अनुसार कार्यकारिणी आमतौर पर परिषद् के कर्त्तव्यों (विनियम बनाने के अतिरिक्त) का निर्वहन करेगी और परिषद् की समस्त निधि का प्रबन्ध भी इसके नियन्त्रणाधीन होगा। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए गए नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों और दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति को परिषद् की ओर से कार्य करने और निर्णय लेने की शक्ति होगी और प्राधिकार भी।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के विनियमों में संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने, मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए

अनुमति देने और प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने सम्बन्धी शर्तें निर्धारित हैं। चार क्षेत्रीय समितियों को अपने आबंटिक अधिकार क्षेत्र में स्थित संस्थाओं के बारे में मान्यता प्रदान करने/अनुमति देने का उत्तदायित्व सौंपा गया है। अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मामलों में विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धान्तों, अथवा सामान्य आदेशों के माध्यम से बताई गई परिषद् की नीतियों का लागू किया जाना है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में शिक्षण प्रणाती के विभिन्न स्तरों में उलझी, किसी गतिशील परिस्थिति में परिषद् द्वारा निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन में दृष्टिकोणीय मतभेदों के सन्दर्भ में, परिषद् ने क्षेत्रीय समितियों के कार्य में समन्वय और नीतियों के कार्यान्यवन के लिए, दृष्टिकोण की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एक रचनातन्त्र की आवश्यकता का अनुभव किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 19 (7) में विशेष प्रयोजनों के लिए समितियां गठित करने का प्रावधान है और इसके अनुसरण में परिषद् ने क्षेत्रीय समितियों के लिए एक नीति समन्वय समिति के गठन का अनुमोदन किया जिस की रचना अनुबन्ध III में दर्शाई गई है। इस समिति का कार्यवृत्त समय-समय पर कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

अध्याय

क्षेत्रीय समितियां

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिनियम में देश के विभिन्न भागों के लिए, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित क्षेत्रीय समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों को स्वीकार करते हुए परिषद् के सामान्य निकाय ने निम्नलिखित क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की :

   1. पूर्व क्षेत्रीय समिति
   2. पश्चिम क्षेत्रीय समिति
   3. उत्तर क्षेत्रीय समिति
   4. दक्षिण क्षेत्रीय समिति

   इन के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अनुबन्ध IV में दर्शाए गए हैं।

2. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परिषद् के सामान्य निकाय ने एक पृथक् क्षेत्रीय समिति की स्थापना की सिफारिश की। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मान लिया है तथा क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के लिए पदों के सृजन का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

3. अधिनियम के अनुसार शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने अथवा ऐसा करने का इरादा रखने वाली संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय समितियां सक्षम प्राधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय समितियों को मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने अथवा भर्ती संख्या बढ़ाने के बारे में अनुमति देने या न देने का अधिकार दिया गया है

   राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम धारा 20 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समितियों का गठन इस प्रकार होगा :

   (क) परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य;

   (ख) क्षेत्र के प्रत्येक राज्य और संघशासित क्षेत्र में से एक एक प्रतिनिधि जो सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा नामित किया जाएगा; तथा

   (ग) शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिनकी संख्या विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

   परिषद् ने प्रत्येक समिति में शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले 6 व्यक्तियों को शामिल करने हेतु विनियम का अनुमोदन कर दिया है।

परिषद् द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार चार क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जा चुका है। 31 मार्च, 1996 तक की इनकी स्थिति अनुबन्ध V से VIII में इंगित की गई है।

4. भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में परिषद् द्वारा जनता, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं और अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना, इसकी भूमिका तथा क्षेत्रीय समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और उनके कार्यालयों की अवस्थिति के बारे में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई। अनुबन्ध IX पर दिए गए चार्ट में क्षेत्रीय समितियों के कार्यालयों के पते दिए गए हैं।

5. पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय क्रमशः भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर और बंगलौर में स्थापित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय समितियों द्वारा संस्थाओं को आवेदन प्रपत्र और मानदण्ड एवं मानक उपलब्ध कराए गए। अनुबन्ध X में 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या दर्शाई गई है।

अध्याय

अनुसंधान परियोजनाएं और कार्यक्रम

1. प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम निर्मित करना

विद्यालयों में न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू होने के परिणामस्वरूप शिक्षक शिक्षा का पुनर्भिविन्यास अनिवार्य हो गया है। अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है। 28-30 अगस्त, 1995 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। तदुपरान्त यूनेस्को शिक्षा संस्थान, हैम्बर्ग, के पूर्व निदेशक प्रोफेसर आर. एच. दवे के मार्गदर्शन में एक कार्यगोष्ठी 29-31 जनवरी, 1996 को आयोजित की गई। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम बनाने के लिए दक्षता क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। जिनमें संकल्पना दक्षताएं, विषयवस्तु दक्षताएं, व्यावहारिक दक्षताएं, मूल्यांकन दक्षताएं, दक्षता आधारित सामग्री की तैयारी, संग्रह और प्रयोग तथा प्रबन्ध दक्षताएं शामिल हैं। उपरोक्त क्षेत्रों के लिए दक्षता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु कुछ संस्थाओं/विशेषज्ञों की पहचान कर, उन्हें यह कार्य सौंपा गया है। प्रलेख के मसौदे को अन्तिम रूप देने के लिए कुछ कार्यगोष्ठियां आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रारूप का पुनर्निर्माण

1978 में पर्वर्ती गैर-सांविधिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा एक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारूप प्रकाशित किया गया था। 1988-89 में इसे परिशोधित कर तदुपरान्त 1991 में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रकाशित किए गए। विशेषज्ञों के साथ व्यक्तिगत और विभिन्न बैठकों में विचार विमर्श के आधार पर यह तय किया गया कि : महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को देखते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में देश में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रारूप की पुनः समीक्षा और निर्माण करना आवश्यक है; पूर्व-प्राथमिक, प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों की विद्यालयी शिक्षा के लिए सेवा-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों का पुनः अवलोकन; और साथ ही साथ शिक्षक शिक्षा के सेवा-पूर्व कार्यक्रमों का अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा की उद्गामी प्रवृत्तियों से अन्तर्सम्बन्ध है। शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्या पर भी ध्यान देना आवश्यक है। व्यापक प्रचार-प्रसार तथा शृंखलाबद्ध संगोष्ठियों में चर्चा हेतु शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप पर एक विस्तृत लेख तैयार किया गया है। इन संगोष्ठियों में हुए विचार विमर्श के आधार पर शिक्षक शिक्षा के एक नए पाठ्यक्रम प्रारूप की संरचना करने का प्रस्ताव है। इस विषय पर 15-16 जनवरी, तथा 7-9 फरवरी, 1996 को दो कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों का एक अंतरंग वर्ग विस्तृत चर्चा सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करने के काम पर जुटा हुआ है।

3. राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा– सामयिक प्रतिष्ठा, समस्याएं और भावी प्रक्षेपण

राज्य सरकारों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के पास उपलब्ध आधारभूत आंकड़े, जनशक्ति, संस्थागत संरचना और अन्य व्यावसायिक तन्त्रों के सन्दर्भ में तत्कालीन आवश्यकताओं और भविष्य के प्रक्षेपणों हेतु पूरी जानकारी देने से अपर्याप्त हैं। अतः शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों का व्यापक चित्र प्राप्त करने के लिए राज्य-स्तरीय अध्ययनों को आयोजित करने की तुरन्त आवश्यकता है। योजना आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 45 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना को शुरू करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है तथा इस परियोजना को 1996-97 में सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।

4. शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय मूल्य

विद्यालयी स्तर पर मानव अधिकार सम्बन्धी एक पाठ्यक्रम प्रारूप को, पहले से ही, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अन्तिम रूप दिया जा चुका है। शिक्षक तैयारी न केवल इस पाठ्यक्रम के अनुरूप आवश्यक है बल्कि इसमें अध्यापकों द्वारा किए गए कुछ नवाचारों सम्बन्धी गतिविधियां को शामिल करना भी आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की इस मानव अधिकार एवं राष्ट्रीय मूल्यों सम्बन्धी परियोजना का उद्देश्य प्रारम्भिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। परियोजना में परिकल्पित हैं संसाधन पुस्तक व नियमावलियों, मुद्रित मॉड्यूलों, श्रव्य एवं दृश्य कार्यक्रमों आदि को तैयार करना तथा मुख्य संसाधक व्यक्तियों, शिक्षक प्रशिक्षकों आदि का प्रपाती प्रक्रिया द्वारा अभिविन्यास। शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पांच इकाइयों वाला एक स्वः अध्ययन मॉड्यूल तैयार किया जा चुका है जिसका विमोचन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा 3 मार्च, 1996 को किया गया। 10-15 मार्च, 1996 को मुख्य संसाधक व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों पर एक अभिविन्यास कार्य-गोष्ठी आयोजित की गई। इस परियोजना पर 1996-98 परियोजना अवधि में 1.80 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

5. प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण सामग्री का विकास

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए प्राथमिकता वाले कुछ क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य शुरू किया है। विकसित होने पर ये मॉड्यूल सभी शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अत्यधिक सहायक होंगे, चाहे उनके विशिष्ट आवंटन कुछ भी हों। फिलहाल इनकी रचना स्वः अध्ययन सामग्री के रूप में की जाएगी। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए मॉड्यूलों के विकास का कार्य निम्नलिखित वरिष्ठ शिक्षाविदों को सौंपा गया है :

(i) निष्पादन एवं मूल्यांकन –डॉ. प्रीतम सिंह

(ii) शिक्षक शिक्षा में भाषा–प्रोफेसर डी.पी. पटनायक

(iii) सृज्नात्मक का पोषण–प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी

समूचे क्षेत्र से सभी शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 8-10 अतिरिक्त मुद्दों की पहचान कर शिक्षण सामग्री का निर्माण करना प्रस्तावित है।

6. राष्ट्रकुल अधिगम परियोजना–दूरवर्ती शिक्षण माध्यम से अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी सामग्री

दिसम्बर, 1993 में दिल्ली में हुई अधिकतम जनसंख्या वाले नौ देशों की एक बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दूरवर्ती पद्धति का प्रयोग किया जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहित करने में, विशेष भूमिका है। राष्ट्रकुल अधिगम के 6000 कैनेडियन डालर की आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने तीन विषयों–(क) भाषाएं, (ख) गणित और (ग) पर्यावरण सम्बन्धी अध्ययन, जो प्राथमिक शिक्षा के मूल तत्त्व हैं–के लिए स्वः मॉड्यूल बनाने की परियोजना शुरू की है। इन मॉड्यूलों द्वारा प्राथमिक स्तर पर इन विषयों को पढ़ाने हेतु आवश्यक शिक्षण शास्त्र की विशिष्टताएं उजागर होंगी।

7. अनुसंधान कार्यगोष्ठियां

शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारी अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा आयोजित करने के उत्तरदायित्व के अनुरूप, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया।

(क) शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान क्षेत्रों पर राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी

यह कार्यगोष्ठी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई

दिल्ली, में 8-11 अक्टूबर, 1995 को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों हेतु, आयोजित की गई।

- शिक्षक शिक्षा में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना तथा निर्णय लेना;
- अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक (3 वर्ष तक की) अनुसंधान परियोजनाएं बनाना;
- परियोजना की रूपरेखा को अन्तिम रूप देना, उन्हें प्रस्तुत करना और उनकी प्रारम्भिक पुर्निरीक्षा हेतु चर्चा करना; तथा
- शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के अनुसंधान शोधकर्त्ताओं, अनुसंधान मार्गदर्शकों तथा अनुसंधान इकाईयों की क्षमता का निर्माण करना।

कार्यगोष्ठी में इस बात पर बल दिया गया कि आज के शिक्षक प्रशिक्षकों को, शिक्षा नीति सम्बन्धी निर्णयों पर, अनुसंधान आधारित प्रमाणित सार्थक हस्तक्षेप द्वारा अपना प्रभाव डालने का अवसर मिलेगा। शिक्षक शिक्षा में शोध से इसकी अपनी ही गुणवत्ता में सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप विद्यालय स्तरीय शिक्षा भी उन्नतिशील होगी। अनुसंधान प्रक्रिया समृद्ध करने हेतु गुणात्मक एव परिमाणात्मक विधियों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। जनसमुदाय के ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों को प्रतिदर्श चयन चरणों में सम्मिलित करना चाहिए। कार्यगोष्ठी मे शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को परिभाषित करने और इसे रोकने के प्रश्न भी उठे तथा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए सिफारिश करने में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष ने अनुसंधान सर्वेक्षणों, शैक्षिक अध्ययनों और नवाचारों की समीक्षाओं के सहारे आंकड़े-आधार के विकास की आवश्यकता पर विशेष बल दिया तथा उन्होंने प्रतिभागियों को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक तौर पर व्यवहार्य अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया। प्राथमिक, प्रारम्भिक, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा जैसी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में इस कार्यगोष्ठी में यह सर्वसहमति प्रकट हुई कि उभरते हुए प्रत्येक क्षेत्र में एक समन्वित एवं व्यापक शिक्षक शिक्षा प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान कार्य-गोष्ठियां आयोजित की गईं।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यगोष्ठी

यह कार्यगोष्ठी भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे, में 27 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 1995 को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आयोजित की गई : (i) अनौपचारिक क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा की प्रकृति की चर्चा; (2) इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विषयों को समझना; (3) समस्याओं के अध्ययन हेतु विभिन्न विधियों और तकनीकों के बारे में विचार विमर्श करना; और (4) अनुसंधान अध्ययन विषयों पर परियोजनाएं तैयार करना। इस कार्यगोष्ठी में अठारह विशेषज्ञों ने भाग लिया। अनुसंधान हेतु पहचाने गए कुछ क्षेत्र हैं : अनौपचारिक शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु प्राचलों का विकास करना; शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनसंचार माध्यमों की भूमिका को समझना; औपचारिक शिक्षा के शिक्षकों को भाषा शिक्षण सम्बन्धी तकनीकों की शिक्षा देना; अनौपचारिक शिक्षा के सांस्कृतिक पक्षों को समझना; अनौपचारिक शिक्षा शिक्षकों के लिए विविध मूल्यांकन विधियों और तकनीकों का एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।

भारत सरकार, योजना आयोग की सदस्या, डॉ. (श्रीमती) चित्रा नायक ने अपने उद्घाटन भाषण में इस विवाद को उठाया कि कोठारी आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हमें अनौपचारिक शिक्षा की सम्भावनाओं की खोज करनी चाहिए तथा शिक्षक शिक्षा प्रणाली को ही अनौपचारिक शिक्षा के लिए सुशिक्षित शिक्षक शिक्षकों की तैयारी हेतु सार्थक बना देना चाहिए।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यगोष्ठी

8-12 जनवरी, 1995 को शिक्षा विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में आयोजित इस कार्यगोष्ठी के मूल उद्देश्य थे : (1) जनशक्ति आयोजन, प्रौढ़शिक्षा के शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों की अर्हताओं पर विचार करना; (2) प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम के क्षेत्रों में आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करना; और (3) प्रौढ़ शिक्षा के अध्यापक तैयार करने सम्बन्धी क्षेत्रों में अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान प्रस्ताव बनाना। इस कार्यगोष्ठी में 29 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

जांच के लिए पहचाने गए क्षेत्र थे : प्रौढ़ शिक्षा अध्यापकों

के पार्श्वचित्र, नौसिखियों की विशिष्टताएं और आवश्यकताएं, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण दक्षताएं, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, मानीटरिंग, मूल्यांकन, प्रलेखन और प्रचार-प्रसार, अध्यापकों के लिए प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी माध्यम और सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी नीति और प्रथाएं, शिक्षक प्रशिक्षण में मानव संसाधनों का विकास और शिक्षक प्रशिक्षण में संगठन व्यवस्था एवं प्रबन्धन।

(घ) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यगोष्ठी

यह कार्यगोष्ठी एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई के विशेष शिक्षा विभाग द्वारा 5-9 फरवरी, 1996 को आयोजित की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1996 और कार्रवाई कार्यक्रम, 1992 की सिफारिशों/टिप्पणियों के अनुरूप इस कार्यगोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से सकुशल अध्यापकों और शिक्षक प्रशिक्षकों का संवर्ग बनाने हेतु प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। 37 व्यक्तियों ने इस कार्यगोष्ठी में भाग लिया।

इस कार्यगोष्ठी में जो प्रतिदर्श अनुसंधान प्रश्न उठाए गए उनमें से कुछ हैं : क्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक प्रशिक्षक प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों के शिक्षक प्रशिक्षण के मूल ढांचे, विषयवस्तु और शैली में कोई भेदभाव करते हैं? क्या पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रशिक्षण रणनीतियां आयु और स्तर-विशिष्ट की शिक्षक शिक्षा के साथ बदल जाती हैं? क्या विद्यार्थी अध्यापकों को नौसिखियों की विशिष्टताओं, अभिप्रेरणा क्षमताओं, भावात्मक प्रारूप, मेटाकागनीशन आदि के अध्ययन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षुओं में सामग्री और मानव संसाधन के प्रबन्ध हेतु नवीनतम प्रबन्धन कौशलों का विकास करते हैं? यदि हां, तो उनके मूल्यांकन को कैसे मापा जाता है? क्या कक्षा में विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं से निपटने के लिए प्रशिक्षुओं को तैयार किया जाता है? यदि हां, तो नियमित कक्षा में कार्य करते हुए उन्हें इसके अभ्यास की प्रेरणा कैसे मिलती है? क्या प्रारम्भिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम भूमिका विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए? हम प्रारम्भिक शिक्षा की व्यावहारिक और व्यावसायिक आवश्कयताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से नवाचारी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की संकल्पना, संरचना और मानीटरिंग करते हैं?

(ड) ई.सी.सी. शिक्षा के लिए भावी शिक्षक शिक्षा पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यगोष्ठी

यह कार्यगोाष्ठी लेडी इरविन कॉलेज, नई दिल्ली में 12-15 मार्च, 1996 को आयोजित की गई।

विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में सहजीवी सम्बन्ध को मानते हुए इस कार्यगोष्ठी में इन विचारों पर बल दिया गया कि प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख एवं शिक्षा में बच्चे के विकास को प्रोत्साहित करने, बच्चे के सर्वतोमुखी विकास करने और उसकी शैक्षिक उपलब्धि को सुधारने हेतु अपार अन्तःशक्ति है। यह अनुभव किया गया कि किसी भी कार्यक्रम को सशक्त करने के लिए भावी क्रियाकलाप में कार्मिकों का विकास, अर्थात ई.सी.सी. शिक्षा में प्रभावी अध्यापकों/शिक्षक प्रशिक्षकों की तैयारी वांछित है। इस कार्यगोष्ठी में 32 प्रतिभागी थे। इस कार्यगोष्ठी के उद्देश्य थे : ई.सी.सी. शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा में अध्ययन सम्बन्धी अनुसंधान प्रस्तावों की तैयारी; ई. सी.सी. शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा की शक्तियों और कमियों पर विचार विमर्श करना; ई.सी.सी. शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा के मूल मुद्दों और सम्बन्धित समस्याओं को समझना; और पाई गई समस्याओं के निदान हेतु रणनीतियों और उपायों को सुझाना।

पहचाने गये कुछ अनुसंधान क्षेत्र हैं: ई.सी.सी शिक्षा के शिक्षक के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण एवं मूल्यांकन करना, ई.सी.सी. शिक्षा के अध्यापकों और प्रशिक्षकों की अत्यावश्यक विशिष्टताओं के मूल्यांकन के लिए एक मापदण्ड विकसित करना, पूर्व-प्राथमिक अध्यापकों के लिए विद्यालय-पूर्व बच्चों में सृजनात्मकता के पोषण हेतु सम्बन्धित रणनीतियों का विकास करना, ई.सी.सी. शिक्षा की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के व्यापारीकरण और सामाजिक वास्तविकताओं के पारस्परिक सन्बन्ध को रेखांकित करना, विभिन्न राज्यों में ई.सी.सी. शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा तथा सेवारत शिक्षक शिक्षा हेतु जनशक्ति आयोजन तथा उपयुक्त तकनालोजी का विकास करना।

पांच कार्यगोष्ठियों के निष्कर्ष

ऊपर बताई गई पांच राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान कार्यगोष्ठियों में लगभग 240 अनुसंधान उपविषयों पर चर्चा की गई तथा इन के आधार पर अनुसंधान प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अनुसंधान प्रस्ताव जांच समिति द्वारा जांच की गई। धन की कमी के कारण केवल आठ

परियोजनाएं हो आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विचार अधीन हैं जबकि अन्य लम्बित, किन्तु अनुमोदित, प्रस्तावों पर भी, अतिरिक्त/पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने पर, विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव है कि पहचान किए गए सभी क्षेत्रों को इंगित करने वाली एक विवरणिका प्रकाशित व प्रसारित की जाए ताकि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने अनुसंधान कार्यक्रमों की परियोजनाएं बनाते समय इनका लाभ मिले।

8. अनुसंधान/नवाचारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा देश भर में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के सुनियोजित और समन्वित विकास के कार्य को पूरा करने के लिए मुख्य उपायों में से एक है अभिनव परिवतनों को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान करना। अतः परिषद् ने अनुसंधान/अभिनव परिवर्तन सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना बनाई। इसमें उद्देश्य, पात्रता और विशिष्ट शर्तें दी गई हैं। परिषद् के समक्ष अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रोफार्मा और मार्गदर्शी सिद्धांत सहित विवरणिका भी बनाई गई है।

9. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानदण्ड और मानक

कोई भी पाठयक्रम चलाने या चलाने के इरादा रखने वाली संस्था से यह अपेक्षित है कि वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त करे। क्षेत्रीय समितियों में मान्यता प्राप्ति सम्बन्धी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने निम्नलिखित मानदण्ड बनाए हैं :

पूर्व-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड एवं मानक;

प्रारम्भिक शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड एवं मानक; तथा

माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड एवं मानक

पत्राचार/दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से बी.एड., माध्यमिक, शारीरिक शिक्षा और विशेष शिक्षा में बी.एड. और एम.एड. के कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं के लिए मानदण्ड और मानक/मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने हेतु प्रारम्भिक प्रयास शुरू किया गया।

10. कार्यदल

देश भर में सुनियोजित और समन्वित ढंग से शिक्षक शिक्षा प्रणाली का विकास और नियमन तथा मानदण्डों व मानकों के समुचित अनुरक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए यह आवश्यक है कि वह : (क) विद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापक पद के इच्छुक व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करे; (ख) शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए और मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली शिक्षा फीस और अन्य शुल्कों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए; (ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने और भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाओं, स्टाफिंग प्रतिरूप और कर्मचारियों की अर्हताओं के विषयों में अनुपालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित करे; (घ) विशिष्ट प्रकार के शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के बारे में मानदण्ड निर्धारित करे, जिनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता की कसौटी, अभ्यर्थियों के चयन की विधि शामिल हो; और (ड) शिक्षक शिक्षा में जनशक्ति आयोजन के कार्य शुरू करे।

उपरिलिखित शिक्षक शिक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत बहस शुरू कराने के लिए निम्नलिखित कार्यदल, श्रेष्ठ शिक्षाविदों और शैक्षणिक प्रशासकों की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बनाए गए :

	कार्यदल	अध्यक्ष
1.	विद्यालय शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की अर्हताओं सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त	प्रोफेसर बी. पी. खण्डेलवाल, अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2.	जनशक्ति आयोजन	डॉ. जे. एल. आजाद, प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3.	संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और पाठ्यक्रमों की अनुमति देना	डॉ. आर. सी. दास, सेवानिवृत्त उपकुलपति
4.	अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पात्रता मानदण्ड	श्री एस. पी. बेहर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल

5.	अध्यापक शिक्षा का व्यापारीकरण रोकना और शुल्क प्रारूप	प्रो. आर.सी. तकवाले, उपकुलपति, इन्द्रिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

विशिष्ट क्षेत्रों में भिन्न कार्यदलों की कई बैठकें और संगोष्ठियां आयोजित की गईं और इनके प्रतिवेदनों के मसौदे भी तैयार किए गए। इन बैठकों में विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। संस्थाओं और पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने वाले कार्यदल की रिपोर्ट तथा व्यापारीकरण रोकने व शुल्क ढांचे सम्बन्धी कार्यदल की अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

विभिन्न कार्यदलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें, एक बार अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों को भेजी जाएंगी ताकि चर्चित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक सहमति का निर्माण हो।

11. शिक्षक शिक्षा संस्थाएं : डाटा बैंक

शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के बारे में सूचना एकत्र करने और इसकी कम्प्यूटर द्वारा संगणना करने का प्रयास शुरू किया गया। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित आंकड़े जुटाने हेतु सम्पर्क किया गया। उपलब्ध उत्तरों का वर्गीकरण कर शिक्षक शिक्षा संस्थाओं सम्बन्धित डाटा बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

लगभग 2000 शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के बारे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास आंकड़े उपलब्ध हैं और इन्हें विभिन्न प्राचलों के अनुसार संकलित किया जा रहा है जैसे स्तर (नर्सरी, प्राथमिक, पूर्व-प्राथमिक, प्रारम्भिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातकोत्तर आदि), पाठ्यक्रम (बी.एड. डिप्लोमा, एम.एड. आदि), स्थान (क्षेत्र, राज्य, नगर आदि), स्थापना का वर्ष, अवस्था (मान्यता प्राप्त अथवा मान्यता प्राप्त नहीं, मान्यता रद्द) आदि।

शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के बारे में आंकड़े संकलित करने का मन्तव्य यह है कि महत्त्वपूर्ण सूचनाएं तुरन्त उपलब्ध हों जिससे शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोजन और अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण सहायता मिले।

12. शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को सौंपे गए कार्यों में से एक है शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करना। अतः विद्यमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की जांच करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि देश में एक ठोस गुणवत्ता पूर्ण शिक्षक शिक्षा प्रणाली का प्रारम्भ हो।

क्योंकि परिषद् अभी अपनी नवजात अवस्था में ही है और इसके पास ढांचागत/जनशक्ति की सुविधाएं अपर्याप्त हैं, अतः शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने के संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए इस ने, विद्वानों की विशेषज्ञता और सहायता का लाभ उठाते हुए, निम्नलिखित विशेषज्ञों और विश्वविद्यालयों (प्रत्येक क्षेत्र में एक) की पहचान की :

	विश्वविद्यालय	नाम
1.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	प्रोफेसर एस. एन.सिंह डॉ. जे. एन. जोशी
2.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	डॉ. डी. सी. जोशी डॉ. बीना शाह
3.	बरहामपुर विश्वविद्यालय	डॉ. जे. मोहन्ती प्रोफेसर आर. पी. सिंह
4.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	प्रोफेसर एस. सी. शर्मा प्रोफेसर सुकुमारन नायर
5.	कोटा मुक्त विश्वविद्यालय	प्रोफेसर एस. एन. सिंह प्रोफेसर आर. पी. ढोकलिया

रिपोर्टें उपलब्ध होने पर उनका प्रयोग : (क) उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं की पहचान; (ख) व्यापारीकरण प्रसार के मूल्यांकन; (ग) दूरवर्ती शिक्षा विधि की जांच; और (घ) शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन पत्राचार-दूरवर्ती शिक्षा विधि के भविष्य की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए किया जा सकेगा।

अध्याय

अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक सम्पर्क

यूनेस्को के सहयोग से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने नवम्बर 1995 में भोपाल में अध्यापकों की व्यावसायिक स्थिति पर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसके उद्देश्य थे : (1) शिक्षक शिक्षा में व्यावसायिकता की विद्यमान स्थिति का अवलोकन करना; (2) चिकित्सा, विधि और इंजीनियरी जैसे व्यवसायों के समान शिक्षक शिक्षा को भी व्यवसाय मानने में आने वाली अड़चनों व कमियों को समझना; (3) शिक्षक शिक्षा प्रणाली के उत्थान तथा इसमें व्यावसायिकता प्रोत्साहित करने हेतु व्यवसायिक संगठनों की भूमिका को समझना; और (4) शिक्षक शिक्षा में व्यावसायिकता और गुणवत्ता लाने वाले ऐसे क्रिया-बिन्दुओं को समझना जिनको परियोजनाओं के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

इस सम्मेलन में लगभग 80 वरिष्ठ प्रशासक, बुद्धिजीवी और प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षक सम्मिलित हुए। इसमें व्यावसायिकता के लिए शिक्षक तैयारी, सेवाकालीन शिक्षा और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में क्षमता निर्माण सम्बन्धी संकल्प पारित किए गए। तदुपरान्त शिक्षक संगठनों के लिए व्यावसायिक विकास और सामुदायिक सहयोग हेतु एक कार्य योजना बनाई गई।

इस सम्मेलन की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष ने दिसम्बर, 1995 में यूनेस्को द्वारा बैंकाक में आयोजित एक शिक्षक शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की।

2. राष्ट्रकुल अधिगम वैनकूवर, कनाडा, के सहयोग से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए स्वः अध्ययन मॉड्यूल बनाने की परियोजना के अन्तर्गत छः मॉड्यूल विज्ञान, गणित और भाषा, प्रत्येक में दो-दो, विकसित किए। राष्ट्रीय अधिगम की राय प्राप्त होने पर इस सामग्री को, क्षेत्र परीक्षण कर, अन्तिम रूप दिया जाएगा।

3. सुश्री बी. राबिन्सन, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार महाविद्यालय, लन्दन, तथा सुश्री नजीरा इस्माईल, मुक्त विश्वविद्यालय, यू. के., ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में पधार कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ दूरवर्ती शिक्षक शिक्षा विधि पर पारस्परिक विचार विमर्श किया।

4. राष्ट्रकुल अधिगम, बैनकूवर, के प्रोफेसर चन्द्रशेखर राव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में आए और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्–राष्ट्रीय अधिगम परियोजना के बारे में चर्चा की।

5. आस्ट्रलिया से सुश्री कोनि एल. यारहम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में पधारीं। उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रसार की भूमिका पर विचार-विमर्श किया तथा निश्चय व्यक्त किया कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का एक पृथक् व्यापक पेपर होना चाहिए और अध्यापक को इस संवेदनशील क्षेत्र में सुप्रशिक्षित होना चाहिए।

6. निम्नलिखित महानुभाव भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में पधारे :

सुश्री लारा एलत्र स्टेचोस्की, इंडियाना विश्वविद्यालय, इंडियाना

सुश्री इंगे आइशर, यूरोपीय आयोग के शिक्षा कार्यक्रम समन्वयक

विदेश में प्रतिनिधित्व

प्रोफेसर बी. के. पासी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, ने ए.पी.ई.आई.डी. की क्षेत्रीय सेमिनार, में भाग लिया, जिसका विषय था "सार्विक प्राथमिक शिक्षा–एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों में व्यावसयिक विकास प्रोत्साहित करना", हिगाशी, हिरोशिमा, जापान 17-26 जुलाई, 1995।

प्रोफेसर जे. एस. राजपूत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, ने 'नए एशिया के लिए अध्यापकों के विकास में भागीदारी' पर यूनेस्को द्वारा बैंकाक, थाईलैंड, में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6-8 दिसम्बर, 1995, भाग लिया।

प्रोफेसर जे. एस. राजपूत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ने राष्ट्रकुल अधिगम के वरिष्ठ प्रशिक्षकों की सलाहकार बैठक, वैनकूवर में भाग लिया 4-8 मार्च, 1996।

अध्याय

संदर्श योजना

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को शिक्षक शिक्षा सम्बन्धी व्यावसायिक, शैक्षणिक और नियमन दायित्व तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों और देश की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को सिफारिशें प्रस्तुत करने के कार्य सौंपे गए हैं। अतः यह कार्य आवश्यक समझा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए एक रचना-तन्त्र विकसित किया जाए ताकि यह अपने उद्देश्यों की उपलब्धि और कार्य सम्पन्न कर सके। इस हेतु निम्नलिखित के आधार पर एक सन्दर्श योजना का विकास किया गया :

   (क) अधिनिमय में अनुबद्ध आदेश और कार्य;

   (ख) अभिज्ञेय कर्तव्य-सम्बन्धी कार्य;

   (ग) संगत संगठनात्मक ढांचा; तथा

   (घ) संगठनात्मक ढांचे की सर्वोत्तम क्रियाशीलता के लिए जनशक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताएं।

2. आदेश की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् राष्ट्रीय और जिला स्तरों पर कई संस्थाओं के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान और सहयोग करेगी। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तरीय पारस्परिक प्रभाव शामिल हैं। यह एक ओर यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ संयोजन स्थापित करेगी तथा दूसरी ओर वास्तविकताओं के धरातल से शक्ति प्राप्त करेगी। सामाजिक- राजनैतिक-सांस्कृतिक तकनालॅजीयुक्त विकल्पों की समग्र विशाल प्रणाली में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्नलिखित चार प्रकार की संस्थाओं और संगठनों से सजीव सहयोग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करती है :

   - उच्च शिक्षा सम्बन्धित संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारें;
   - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की विद्यालय सम्बन्धी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान;
   - सम्बद्ध संस्थाएं जैसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राज्यों के विद्यालय शिक्षा बोर्ड; और
   - अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी., सी.ओ.एल. और ब्रिटिश काउंसिल।

राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे निदेशक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्; निदेशक, शैक्षिक आयोजन और प्रशासन संस्थान; सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्; तथा अन्य शिक्षाविदों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। यह योजना अपने आदर्श व उद्देश्यों तथा इनकी पूर्ति हेतु क्रिया-विधियों को प्रस्तुत करती है।

3. मुख्य कार्यालय शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा अभिनव परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नतिशील गतिविधियां शुरू करेगा तथा शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम निवेश, शैक्षिक विधियों और मूल्यांकन रणनीतियों के बारे में सुझाव देने हेतु सक्रियता उन्मुख नियोजन करें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानदण्ड विकसित और निर्धारित करेगी और किए गए अभिनव परिवर्तनों तथा अनुसंधान अध्ययनों के परिणामों का प्रसार करेगी।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मूल संसाधन व्यक्तियों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी और संस्थाओं को भी सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने में सहायता देगी। ऐसी संस्थाओं को परिषद् तकनीकी और व्यावसायिक दिशा निर्देशन प्रादान करेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक सुदृढ़ डाटा बेस, पुस्तकालय और मीडिया केन्द्र निर्मित करेगी जो अन्ततोगत्वा शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र बन जाएगा। "कार्यों के अनुसार आकार" के सिद्धान्त को चरितार्थ करते हुए मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की गतिविधियों का संचालन करने के लिए नौ विभागों और दो इकाइयों की कल्पना की गई है।

5. 3 नवम्बर, 1995 को हुई परिषद् के सामान्य निकाय की बैठक में सन्दर्श योजना में शामिल किए गए प्रस्तावों का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। क्योंकि देश शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 2 प्रतिशत व्यय को बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के लिए वचनबद्ध है, अतः यह प्रस्ताव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत सुधार के लिए कार्यरत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अध्याय

प्रकाशन

वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले :

1. एम्पावरिंग दि अन्डर प्रिविलिज्ड : केस ऑफ टीचर ऐजूकेशन
2. पालिसी पर्सपैक्टिव इन टीचर ऐजूकेशन
3. पैरामेटरी एक्टिविटी 1994-95
4. डिफ्रेंट मोड्ज़ आफ ऐजूकेशन यूज्ड फार टीचर प्रैपरेशन इन इन्डिया
5. नार्म्ज़ एंड स्टैंडर्ज़ फार प्री-पराईमरी टीचर ऐजूकेशन
6. नार्म्ज़ एंड स्टैंडर्ज़ फार एलिमेंट्री टीचर ऐजूकेशन
7. नार्म्ज़ एंड स्टैंडर्ज़ फार सैकण्डरी टीचर ऐजूकेशन
8. ह्यूमन राईट्स एंड नैशनल वैल्यूज़ : सेल्फ लर्निंग माड्यूल फार टीचर ऐजूकेटर्ज़

अध्याय

व्यापारीकरण निवारण

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम में सुस्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कर्त्तव्यों में से एक कर्तव्य है "शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना"। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इसका कार्यभार एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् को सौंपा। इस समस्या के अध्ययन से पता लगा कि 80 के दशक में शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण से सभी स्तरों की संस्थाओं का अत्यधिक प्रसार हुआ जैसे अंशकालिक/अवकाश/पत्राचार पाठ्यक्रम पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण। विशेष रूप से, पत्राचार द्वारा बी.एड पाठ्यक्रम का इतना गलत इस्तेमाल हुआ तथा इस समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूरी अव्हेलना करते हुए कुछ संस्थाओं/विश्वविद्यालयों ने 30,000 से भी अधिक विद्यार्थियों को भर्ती कर लिया, यहां तक कि भारत में 1995 में पत्राचार माध्यम से पढ़ने वाले लगभग 5 लाख विद्यार्थियों में कोई एक लाख से ऊपर विद्यार्थी बी.एड. प्रशिक्षार्थी ही थे। अतः शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता के ह्रास और स्तर की गिरावट की आशंका से कई शिक्षाविदों और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों/निकायों ने इस प्रवृत्ति के विरुद्ध वावेला कर सचेत किया। दुर्भाग्यवश शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का खुल्लमखुला उल्लंघन करती हुई यह प्रवृत्ति अभी चल रही है।

2. शिक्षक शिक्षा का व्यापारीकरण केवल पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं। यह तो नियमित आमने-सामने कार्यक्रमों में भी भयंकर रूप से फैला हुआ है। जबकि सब प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, आन्तरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षा आदि के मामलों में पक्षपात और भ्रष्टाचार व्यापक होने की चर्चा है, निजी प्रबन्ध वाली शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं ने तो इसे "अपने प्रवन्धों के लिए धन इकट्ठा करने की मशीनों" के व्यापक रूप में अपनाया है। अध्यापकों की नियुक्ति और स्थानों के आवंटन में तगड़ी आय अर्जित करना साधारणतया सामान्य-सी प्रथा बन चुकी है। यह बताया गया है कि केरल राज्य (वैसे कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं) में व्याख्याता के पद के लिए 2 लाख रुपये से भी ऊपर और बी.एड. पाठ्यक्रम में एक स्थान के लिए 25,000 रुपये से भी ऊपर की दर है। इस प्रकार. का व्यापारीकरण शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर और शिक्षक तैयारी में लगी विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में पाया जाता है, जिसको देखते हुए उपचारी प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक है।

व्यापारीकरण निवारण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पूर्व प्रस्ताव

3. पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (जो उस समय केवल सलाहकार निकाय थी) ने 1989 में तथाकथित अपेक्षाओं के उल्लंघन के आरोप की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसने स्थिति से अवगत होकर निष्कर्ष निकाला कि पत्राचार द्वारा बी.एड. पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए तथा भारत सरकार से आग्रह किया कि इसे तुरन्त बन्द कर दिया जाए। 1989 में मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से समय-समय पर बी.एड पत्राचार कार्यक्रमों को बन्द करने तथा/अथवा इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए विशेष कदमों का स्पष्टीकरण मांगा। उस समय की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् केवल सलाहकार निकाय होने के कारण इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकी।

4. 1992 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक में इसमें भर्ती को सीमाबद्ध करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया और जोर देते हुए कहा कि बी.एड कार्यक्रम को अतिरिक्त धनराशि पैदा करने की व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसी बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया कि, अगली अधिसूचना तक, सेवाकालीन अध्यापक अभ्यर्थियों को छोड़कर, बी.एड. पत्राचार पाठ्यक्रम में नई भर्ती न की जाए।

5. अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षकों और उनके संगठनों ने पत्राचार माध्यम से शिक्षक निर्माण पर लगातार असन्तोष जताया क्योंकि इसके परिणामस्वरूप व्यापारीकरण की प्रवृत्ति घटित होती है। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संघ के अध्यक्ष ने 28 दिसम्बर, 1994 को वाराणसी सम्मेलन में, अपने अध्यक्षीय भाषण में, पत्राचार द्वारा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की बुरी तरह से भर्त्सना की।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (1995) द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति को, शिक्षक शिक्षा की सभी (क) नियमित पूर्णकालिक, (ख) अंशकालिक और (ग) पत्राचार/दूरवर्ती व्यवस्थाओं में, व्यापारीकरण को रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु अनुरोध किया गया।

7. पिछले दो दशकों में बी.एड. स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी मांग अपूर्व ढंग से बढ़ी है जिसका आंशिक रूप से एक कारण है विद्यालयों की संख्या में वृद्धि और दूसरा स्नातकों की बेरोजगारी, जो यह समझते हैं कि यदि वे बी.एड. डिग्री प्राप्त कर लें तो उन्हें नौकरी मिलने का अवसर बेहतर हो जाएगा। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालयों में बी.एड. पत्राचार कार्यक्रमों के अतिरिक्त, बड़ी संख्या में निजी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पनप उठे। इनमें से अधिकांश अल्पावधि में विशाल लाभ अर्जित करने के एक ही उद्देश्य से बनाए गए। यद्यपि विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम लाभ अर्जित करने के आशय से शुरू नहीं किए थे, किन्तु शीघ्र ही उन्होंने भी जान लिया कि वे भी इस पाठ्यक्रम से, विशेषकर अधिक-से-अधिक भर्ती करके, आसानी से अपार धनराशि इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के व्यापारीकरण के विरुद्ध जनसाधारण में शोर मचा तो अन्ततः भारत सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के कर्त्तव्यों में शिक्षक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने हेतु एक कर्त्तव्य निर्धारित किया।

8. इस समिति ने शिक्षक शिक्षा में व्यापारीकरण की व्यवहार्य परिभाषा के बारे में विचार-विमर्श किया। विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा सामान्यतः बड़ी सीमा तक सरकारी अनुदान या जनता द्वारा दिए गए दान पर आश्रित होती है तथा इसका कुछ भाग ही विद्यार्थियों द्वारा दी गई शुल्क आय का स्रोत होता है। जब आवर्ती व्यय और आवर्ती आय में सन्तुलन हो तो कहा जाता है कि संस्था 'न लाभ न हानि' के आधार पर कार्य कर रही है। जब किसी संस्था को सरकारी अनुदान नहीं मिलता और शुल्क आय (जिसमें सभी प्रकार के शुल्क और वसूली शामिल हैं) के अतिरिक्त उसकी कोई आय नहीं होती, तो वह आम तौर पर आय और व्यय का सन्तुलन, शुल्क वृद्धि या व्यय में कमी द्वारा (स्टाफ में कमी और उन्हें कम वेतन देकर)

ही स्थापित करती हैं। कभी-कभी प्रवेश की अच्छी मांग होने पर भी भर्ती संख्या और शुल्क बढ़ाकर व्यय से काफी अधिक अधिशेष आय प्राप्त की जा सकती है जिसे पाठ्यक्रम से हुआ लाभ कहा जा सकता है। एक अच्छी संस्था इस अधिशेष आय का उपयोग पाठ्यक्रम में सुधार करने, पुस्तकालय के लिए अधिक पुस्तकें खरीदने, अधिक उपकरण खरीदने तथा अधिक स्टाफ नियुक्त करने के लिए करती है। परन्तु कई संस्थाएं इस अधिशेष आय का उपयोग पाठ्यक्रम में सुधार करने के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए परावर्तित करती हैं। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने शिक्षक शिक्षा में व्यापारीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया : "किसी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम/संस्था को व्यापारीकरण में लिप्त माना जाएगा, यदि वर्ष में, विद्यार्थियों के शुल्क समेत, उसकी कुल आवर्ती प्राप्तियाँ उस वर्ष के कार्यक्रम पर व्यय से 10 प्रतिशत से अधिक होंगी। इसका पता कार्यक्रम/संस्था की आय-व्यय सम्बन्धी वार्षिक विवरणी से लगाया जाएगा। इस उद्देश्य से संस्था द्वारा प्राप्त सभी धनराशि की प्राप्ति का विधिवत् लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए।"

9. समिति ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् व्यापारीकरण में लिप्त संस्थाओं की पहचान के बारे में निम्नलिखित संकेतकों को भी ध्यान में रखे :

- भारी संख्या में भर्ती;
- अध्यापक-विद्यार्थी निम्न अनुपात;
- अपर्याप्त संस्थागत आवास व अन्य सुविधाएं;
- उच्च पढ़ाई शुल्क व अन्य शुल्क; तथा
- विद्यार्थियों से, निर्धारित एवं विधिवत् अधिसूचित प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य प्राप्ति।

10. समिति ने यह भी सिफारिश की कि व्यापारीकरण रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् आवश्यक कार्रवाई करे ताकि :

(क) विद्यार्थियों से प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क न लिया जाए;

(ख) शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश अत्यन्त कड़ाई से, योग्यता के आधार पर तथा आरक्षण सम्बन्धी सरकारी नियमों को ध्यान में रखते हुए, किया जाए; तथा

(ग) शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के एक मास बाद प्रवेश बन्द कर दिया जाए।

11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू होने के तुरन्त बाद ही व्यापारीकरण को रोकने हेतु जोरदार ढंग से कदम उठाए गए। इस प्रयास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्राचार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम जारी रखने अथवा जारी न रखने के बारे में विचार करने के लिए इगनू के उपकुलपति प्रोफेसर राम तकवाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित किए, जिनमें कुछ ऐसी शर्तें शामिल थीं जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश 3 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवारत अध्यापकों तक ही सीमित हो और प्रवेश संख्या, सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में कार्यरत, बिना बी.एड. उपाधि के, 500 अध्यापकों तक सीमित हो। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को भी भेजा। परिषद् ने इन्हें पूर्ण रूप से अपना लिया और सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त ढंग से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के इस प्रावधान के उल्लेख के साथ भेजा कि जिन संस्थाओं को मान्यता प्राप्त नहीं है उनके द्वारा चलाए गए पाठ्यक्रमों में प्राप्त अर्हता विद्यालयों में नौकरी के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए कि नए विद्यार्थियों के लिए तो आमने-सामने के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आवश्यक हैं और केवल सेवाकालीन अध्यापकों के लिए ही बी.एड. पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। परिषद् में पत्राचार द्वारा बी.एड. में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से बड़ी संख्या में पूछताछ सम्बन्धी पत्र आ रहे हैं जिससे इस बारे में जागृति बढ़ने का संकेत मिलता है। प्रारम्भिक हिचकिचाहट के बाद विश्वविद्यालयों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है। इनकी एक प्रति अनुबन्ध IX पर दी गई है।

12. व्योंकि अध्यापक शिक्षा में व्यापारीकरण पत्राचार से बी.एड. तक ही सीमित नहीं है, वरन् शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, आन्तरिक मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षा आदि में पूरी तरह व्याप्त है, अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने व्यापारीकरण रोकने सम्बन्धी अन्य पहलुओं की ओर जांच करने के लिए प्रसिद्ध शिक्षाविदों, ख्याति प्राप्त शैक्षिक प्रशासकों और अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकों के विशेषज्ञ दल स्थापित किए हैं।

अध्याय

विनियम

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, परिषद् को अधिनियम प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 7 (1) में प्रावधान है कि परिषद विनियमों में की गई व्यवस्था के अनुरूप निश्चित समय और स्थानों पर बैठकें करेगी तथा इनके कार्य संचालन (बैठकों के कोरम समेत) सम्बन्धी प्रक्रिया अपनाएगी। परिषद् ने इन आवश्यक विनियमों का अनुमोदन कर दिया है, जिनमें (i) बैठक के लिए कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना, रिक्तियों के अतिरिक्त सदस्यों की एक तिहाई का कोरम, आपात बैठकों की व्यवस्था, बैठकों के कार्यवृत्त के अनुमोदन आदि का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम में परिषद् द्वारा कार्यकारिणी समिति गठित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त परिषद् इस समिति को, इन विनियमों के अनुसार, काम भी सौंप सकती है। परिषद् ने कार्यकारिणी समिति के गठन तथा इस आशय के विनियमों का भी अनुमोदन किया कि कार्यकारिणी समिति आम तौर पर परिषद् के कर्त्तव्यों का वहन करेगी और परिषद् के सभी मामले और समस्त निधि का प्रबन्ध इसी के नियन्त्रणाधीन होगा। कार्यकारिणी समिति को परिषद् की सभी शक्तियां (विनियम बनाने की शक्ति के अतिरिक्त) इस्तेमाल करने का भी प्राधिकार दिया गया है। इससे सम्बन्धित विनियमों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 19 की उपधाराओं (2), (5) और (6) के अनुसार, परिषद् के अनुमोदन के आधार पर कार्यकारिणी समिति की बैठकें आयोजित करने, ऐसी बैठकों के कोरम (रिक्तियों के अतिरिक्त एक तिहाई सदस्य संख्या) और दो अतिरिक्त व्यक्तियों को सहयोजित करने के बारे में, विनियमों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

4. क्षेत्रीय समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का अनुमोदन भी परिषद् द्वारा कर दिया गया है जो नीचे दिया जा रहा है :

   1. **पूर्व क्षेत्रीय समिति**
      अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

   2. **पश्चिम क्षेत्रीय समिति**
      गोआ, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, तथा दमन एवं दिऊ

3. **उत्तर क्षेत्रीय समिति**
   हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, दिल्ली।

4. **दक्षिण क्षेत्रीय समिति**
   आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी

5. पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय क्रमशः भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर और बंगलौर में रखने का अनुमोदन किया गया और ये कार्यालय स्थापित कर दिए गए हैं।

6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार परिषद् ने निश्चित किया है कि शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले छः व्यक्तियों को इन क्षेत्रीय समितियों में नामित किया जाए। इन नामित व्यक्तियों का कार्यकाल दो वर्षों के लिए होगा। परिषद् ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को क्षेत्रीय समितियों के लिए व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया। परिषद् के अनुमोदन के अनुसार आवश्यक विनियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। चार क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है। क्षेत्रीय समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा निश्चित की जानी है। परिषद् ने निर्णय लिया कि क्षेत्रीय समितियां, सदस्यों के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के समर्थन में युक्तियों को ध्यान में रखते हुए, आम सहमति से ही विभिन्न मुद्दों पर फैसले करें। मान्यता प्राप्ति के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तों के निर्वचन, नए पाठ्यक्रमों के लिए अनुमति, अतिरिक्त भर्ती और परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को लागू करने के मामलों में मतभेद होने पर मामला परिषद् को विचारार्थ भेजा जाएगा। परिषद् ने, इस सम्बन्ध में विचार कर, विनियमों का अनुमोदन किया है। अध्यक्ष को ऐसे मामलों में गुणों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है और यदि ये आवश्यक समझे तो मामला परिषद् के उपयुक्त निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित है कि परिषद् की क्षेत्रीय समितियां शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाने वाली संस्थाओं के मान्यता प्राप्ति सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करेंगी और विनियमों में दी गई शर्तों को पूरा करने के आधार पर मान्यता प्रदान अथवा इंकार करेंगी। अधिनियम की धारा 15 मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा शिक्षक शिक्षा के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति से सम्बन्धित है। क्षेत्रीय समितियों से अपेक्षित है कि वे नए पाठ्यक्रम शुरू करने के बारे में विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुमति सम्बन्धी आवेदनों पर विचार करें। भर्ती में वृद्धि भी अधिनियम की धारा 15 की परिधि में लाई गई है।

8. शिक्षक शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से मानदण्ड और मानक बनाने, नए पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति देने और भर्ती संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध शिक्षाविदों और ज्ञानी व्यक्तियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श हुए। इनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रतेखों को तैयार किया गया :

   (i) मान्यता प्राप्ति/अनुमति/अतिरिक्त भर्ती सम्बन्धी आवेदन फार्म जिसमें संस्था द्वारा वांछित वचन दिया जाना भी सम्मिलित है;
   (ii) शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड और मानक– पूर्व-प्राथमिक;
   (iii) शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड और मानक– प्रारम्भिक; तथा
   (iv) शिक्षक शिक्षा के लिए मानदण्ड और मानक– माध्यमिक।

9. लचीलापन बनाए रखने के लिए विनियमों में एक विशेष प्रावधान, उन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के बारे में रखा गया है जो नवाचारी पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हों।

10. इन पहलुओं को समेटते हुए, एक विस्तृत विनियम पर विचार किया गया और परिषद् के अनुमोदन के बाद उसे सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया गया है।

11. 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित विनियम दर्शाने वाला चार्ट अनुबन्ध XII पर है।

अध्याय

मार्गदर्शी सिद्धांत, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य अभिकरणों को सम्प्रेक्षण

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा भारत में अध्यापक निर्माण सम्बन्धी विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने सिफारिश की : "अध्यापक द्वारा विद्यालय स्तर पर अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक सम्पादन के लिए जिस ज्ञान व निपुणताओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा की पहली डिग्री/डिप्लोमा न्यूनतम एक शैक्षणिक वर्ष के लिए संस्थागत पाठ्यक्रमों द्वारा आमने-सामने होनी चाहिए।" विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश और इस पर परिषद् के अनुमोदन के बारे में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे परिषद् के इस निर्णय को अध्यापकों के भर्ती नियमों में समाविष्ट करें।

2. पत्राचार/दूरवर्ती प्रणाली से बी.एड. जारी रखने या न रखने के विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ समय से विचार करता रहा है। प्रोफेसर तकवाले, उप-कुलपति, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में स्थापित विश्वविद्याल्य अनुदान आयोग की समिति की रिपोर्ट पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धांत अगस्त, 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम द्वारा सौंपे गए कार्यों के अनुसरण में परिषद् ने इस विषय पर विचार किया और अधिकार क्षेत्र, पात्रता मानदण्ड, स्थान, संख्या, शिक्षा शुल्क, भर्ती अर्हता, कार्यक्रम घटक और स्टाफ ढांचे के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत अनुमोदित किए जिनका ब्योरा अनुबंध XI में है। इन्हें सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासकों, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों को भेज दिया गया है।

3. परिषद् के विनियमों में यह व्यवस्था है कि निम्न-लिखित मामलों में क्षेत्रीय समितियों को आवेदन प्रस्तुत करते समय संस्थाओं को सम्बन्धित राज्य सरकार/ संघशासित क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना चाहिए।

   (क) 17 अगस्त, 1995 से ठीक पहले जो संस्था अस्तित्व में नहीं थी परन्तु शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चलाना चाहती हो;

   (ख) उन संस्थाओं द्वारा, जिन्होंने पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त कर ली हो, नए पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति; तथा

(ग) क्षेत्रीय समिति द्वारा मौलिक मान्यता प्रदान करते समय अनुमोदित भर्ती संख्या को बढाने के अनुमति।

4. विनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य या संघशासित क्षेत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु यह सुनिश्चित किया गया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते समय राज्य सरकार व संघशासित क्षेत्रीय प्रशासन राज्य या संघशासित क्षेत्र में शिक्षक शिक्षा की जनशक्ति आवश्यकता के विशिष्ट संदर्भ में स्थिति के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखे।

राज्यों और संघशासित क्षेत्रों की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करने में सुविधा के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं, जिनकी एक प्रति, उनके प्रयोगार्थ भिजवा दी जा चुकी है। इनकी एक प्रति अनुबन्ध XIII में दी गई है।

अध्याय

लेखा और लेखा परीक्षा

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 22 में व्यवस्था है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार परिषद् को कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक धनराशि दे। परिषद् ने लेखे के रख-रखाव स्वरूप और विधि सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेज दिए हैं और मामले को भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष भी रखा है। इसके अतिरिक्त परिषद् की अपनी निधि होगी और उसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या भारत अथवा विदेश के किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दी गई राशि होगी। 1995-96 के वित्तीय वर्ष में परिषद् को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) से 2 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। इसके अतिरिक्त यूनेस्को तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से भी कुछ धन राशि कुछ विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्राप्त हुई। निम्नलिखित तालिकाओं में 1995-96 के दौरान परिषद् की वित्तीय स्थिति बताई गई है :

   1. वर्ष 1995-96 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा
   2. वर्ष 1995-96 का आय तथा व्यय लेखा
   3. 31 मार्च, 1996 की स्थिति का तुलन पत्र।

   प्राप्ति और भुगतान लेखा, तथा आय एवं व्यय विवरण अनुबन्ध XIV में दिया गया है।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार परिषद् का लेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है

अनुबन्ध

अनुबन्ध 1

भारत का राजपत्र असाधारण

सूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त 1995

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1995

सांविधिक आदेश 720 (अ.)—राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् की तत्काल प्रभाव से स्थापना करती है। इस परिषद् में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

1. प्रो. जे.एस. राजपूत, अध्यक्ष
वी/8, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण
परिषद् परिसर,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

धारा 3 की उपधारा(4) के खण्ड (ख) के अंतर्गत नियुक्त

2. श्री बी.के. पासी, उपाध्यक्ष
4, यूनिवर्सिटी बंगले,
खंडवा रोड,
इन्दौर-452001.

धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त

3. श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव
डी-11/223, विनय मार्ग,
चाणक्य पुरी,
नई दिल्ली-110021.

पदेन सदस्य

4. सचिव, पदेन सदस्य
भारत सरकार,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001.

5. प्रो. पी.के. सेन, पदेन सदस्य
दर्शनशास्त्र प्रोफेसर,
जादवपुर विश्वविद्यालय,
कलकत्ता-700032
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का मनोनीत)
फिरोजशाह कोटला रोड, नई दिल्ली।

6. निदेशक, पदेन, सदस्य
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

7. निदेशक, पदेन, सदस्य
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण
परिषद् परिसर,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली-110016.

8. सलाहकार (शिक्षा), पदेन, सदस्य
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली।

9. अध्यक्ष, पदेन, सदस्य
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र,
2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार,
दिल्ली-110092.

10. वित्तीय सलाहकार, पदेन, सदस्य
भारत सरकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, सी विंग,
नई दिल्ली-110001.

11. सदस्य सचिव, पदेन, सदस्य
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्,
इंदिरा गांधी नेशनल इनडोर स्टेडियम,
नई दिल्ली-110002.

12. अध्यक्ष, पदेन, सदस्य
पूर्वी क्षेत्रीय समिति

13. अध्यक्ष, पदेन, सदस्य
पश्चिम क्षेत्रीय समिति

14. अध्यक्ष, पदेन, सदस्य
उत्तर क्षेत्रीय समिति

15. अध्यक्ष, पदेन, सदस्य
दक्षिण क्षेत्रीय समिति

खण्ड (एम) के उप खंड (प) की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत की गई नियुक्ति

16. संकायाध्यक्ष, सदस्य
शिक्षा विभाग,
उस्मानिया विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500007,
आंध्र प्रदेश।

17. संकायाध्यक्ष, सदस्य
शिक्षा विभाग,
एस.एन.डी.टी.,
बंबई-400020,
महाराष्ट्र।

18. संकायाध्यक्ष, सदस्य
शिक्षा विभाग,
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय,
शिलांग-793001,
मेघालय

19. संकायाध्यक्ष, सदस्य
शिक्षा विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय,
चंडीगढ़-160014,
पंजाब।

खंड (एम) के उपखंड (iii) की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत की गई नियुक्ति।

20. अरविन्द कुमार, सदस्य
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र,
अणुशक्ति नगर,
बंबई, महाराष्ट्र।

खण्ड (एम) के उपखंड (iii) की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत की गई नियुक्ति

21. डा. वीना मिस्त्री, सदस्य
सम-कुलपति,
एम.एस. बड़ोदा विश्वविद्यालय,
वदोदरा-390002,
गुजरात।

22. डा. (श्रीमती) आर. मुरलीधरन, सदस्य
एम. 10, साकेत,
नई दिल्ली-!10007.

23. प्रो. सी.एल. आनंद, सदस्य
24, एशियाड गांव,
नई दिल्ली-110049.

खण्ड (एम) के उपखंड (4) की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत की गई नियुक्ति

24. डा. एम.पी. परमेश्वरन, सदस्य
'अरुणिमा',
एल.आई.सी. लेन,
पट्टम,
त्रिवेन्द्रम-695004,
केरल

25. श्रीमती शारदा जैन, सदस्य
संधान अनुसंधान केन्द्र,
सी-196, वन मार्ग,
तिलक नगर,
जयपुर-303004,
राजस्थान।

खण्ड (एम) के उपखंड (5) की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत की गई नियुक्ति

26. प्रो. आर.एस. शर्मा, सदस्य
वेस्ट वोरिंग केनाल रोड,
पटना-800001
बिहार।

27. प्रो. ए.के. दत्त गुप्त, सदस्य
प्राणि विज्ञान विभाग,
कलकत्ता विश्वविद्यालय,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

28. प्रो. एस.एस. देवाल, सदस्य
ई-250, मयूर विहार,
फेस-II,
दिल्ली-1100091.

उपखंड (एन) की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत की गई नियुक्ति

29. शिक्षा सचिव, सदस्य
शिक्षक शिक्षा प्रभारी,
शिक्षा विभाग,
गुवाहाटी-781019
असम।

30. शिक्षा सचिव, सदस्य
शिक्षक शिक्षा प्रभारी,
शिक्षा विभाग,
बंगलौर-560001
कर्नाटक।

31. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा
शिक्षा विभाग,
भोपाल-462004
मध्य प्रदेश।

32. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
बंबई-400032
महाराष्ट्र।

33. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
भुवनेश्वर-751001
उड़ीसा।

34. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
जयपुर-302004
राजस्थान।

35. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
मद्रास-600009
तमिलनाडु।

36. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
लखनऊ-226001
उत्तर प्रदेश।

37. शिक्षा सचिव, सदस्य
प्रभारी शिक्षक शिक्षा,
शिक्षा विभाग,
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह,
पोर्ट ब्लेयर-744101

धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ओ) के अंतर्गत मनोनीत सदस्य

38. डा. गिरीजा व्यास, सदस्य
संसद सदस्य,
लोक सभा,
संसद भवन एनैक्सी,
नई दिल्ली-110001.

39. प्रो. प्रेम धूमल, सदस्य
संसद सदस्य,
लोक सभा,
संसद भवन एनेक्सी,
नई दिल्ली-110001

40. अध्यक्ष का नामित व्यक्ति सदस्य
राज्य परिषद्
(अभी अंतिम रूप देना है)

धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (पी) के अंतर्गत नियुक्त किए गए

41. श्री एस.पी. बक्शी, सदस्य
प्रिंसिपल,
माडर्न स्कूल,
बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001

42. श्री के.के. महिन्द्रू, सदस्य
प्रिंसिपल,
एयर फोर्स बाल भारती स्कूल,
लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

43. सिस्टर टावरीना, सदस्य
मेटर डे कान्वेंट स्कूल,
पुराना किला रोड,
नई दिल्ली-!10001.

(एफ.सं. 61-23/94-डेस्क (टी.ई.))
प्रियदर्शी ठाकुर, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध II

कार्यकारिणी समिति

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 19)

1.	प्रो. जे.एस. राजपूत, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	अध्यक्ष
2.	डा. बी.के. पासी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	सदस्य
3.	सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग	पदेन सदस्य
4.	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	पदेन सदस्य
5.	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्	पदेन सदस्य
6.	शिक्षा से सम्बन्धित विभाग में भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार	पदेन सदस्य
7.	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित चार विशेषज्ञ	पदेन सदस्य
	(क) प्रो. सुमा चिटनिस, उप-कुलपति, एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई	सदस्य
	(ख) प्रो. सी.एल. आनन्द, (पूर्व उप-कुलपति, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय)	सदस्य
	(ग) प्रो. (श्रीमती) एन. ललिता, शिक्षा में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	सदस्य
	(घ) प्रो. सी.एल. कुंडू, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	सदस्य
8.	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित राज्यों के प्रतिनिधि	
	(क) शिक्षा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
	(ख) शिक्षा सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलौर	सदस्य
	(ग) शिक्षा सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	सदस्य
	(घ) शिक्षा सचिव, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल	सदस्य
9.	डा. आर.सी. दास, अध्यक्ष, पूर्व क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर	सदस्य
10.	प्रो. एस.एन. सिंह, अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल	सदस्य
11.	श्री सी.एस. मेहता, अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर	
12.	श्री के.पी. सुरेन्द्रनाथ आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलौर	सदस्य
13.	श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	सदस्य-सचिव

अनुबन्ध III

क्षेत्रीय समितियों के लिए नीति समन्वय समिति

(क)	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	अध्यक्ष
(ख)	शिक्षा नीति, प्रबन्ध और प्रशासन शिक्षण संस्थाओं के तीन विशेषज्ञ (अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नामित किए जायेंगे)	सदस्य
(ग)	सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित विशेषज्ञ :

1. प्रो. सी.एल. आनन्द,
   पूर्व प्रो. उप-कुलपति,
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
   एफ-87, विकासपुरी, दिल्ली-110018
2. डा. टी.एन. धर,
   ए-60, योजना विहार, दिल्ली-110092
3. डा. पी.आर. नायर,
   प्रोफेसर शिक्षा और डीन (सेवानिवृत्त),
   मैसूर विश्वविद्यालय, 37/1,
   1 क्रास टेम्पल रोड, जयलक्ष्मीपुरम, मैसूर-570012.

अनुबन्ध IV

क्षेत्रीय समितियां—प्रादेशिक क्षेत्राधिकार

		स्थान	*प्रादेशिक क्षेत्राधिकार*
1.	पूर्व क्षेत्रीय समिति	भुवनेश्वर	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	भोपाल	गोआ, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दिऊ
3.	उत्तर क्षेत्रीय समिति	जयपुर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़
4.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति	बंगलौर	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पांडिचेरी

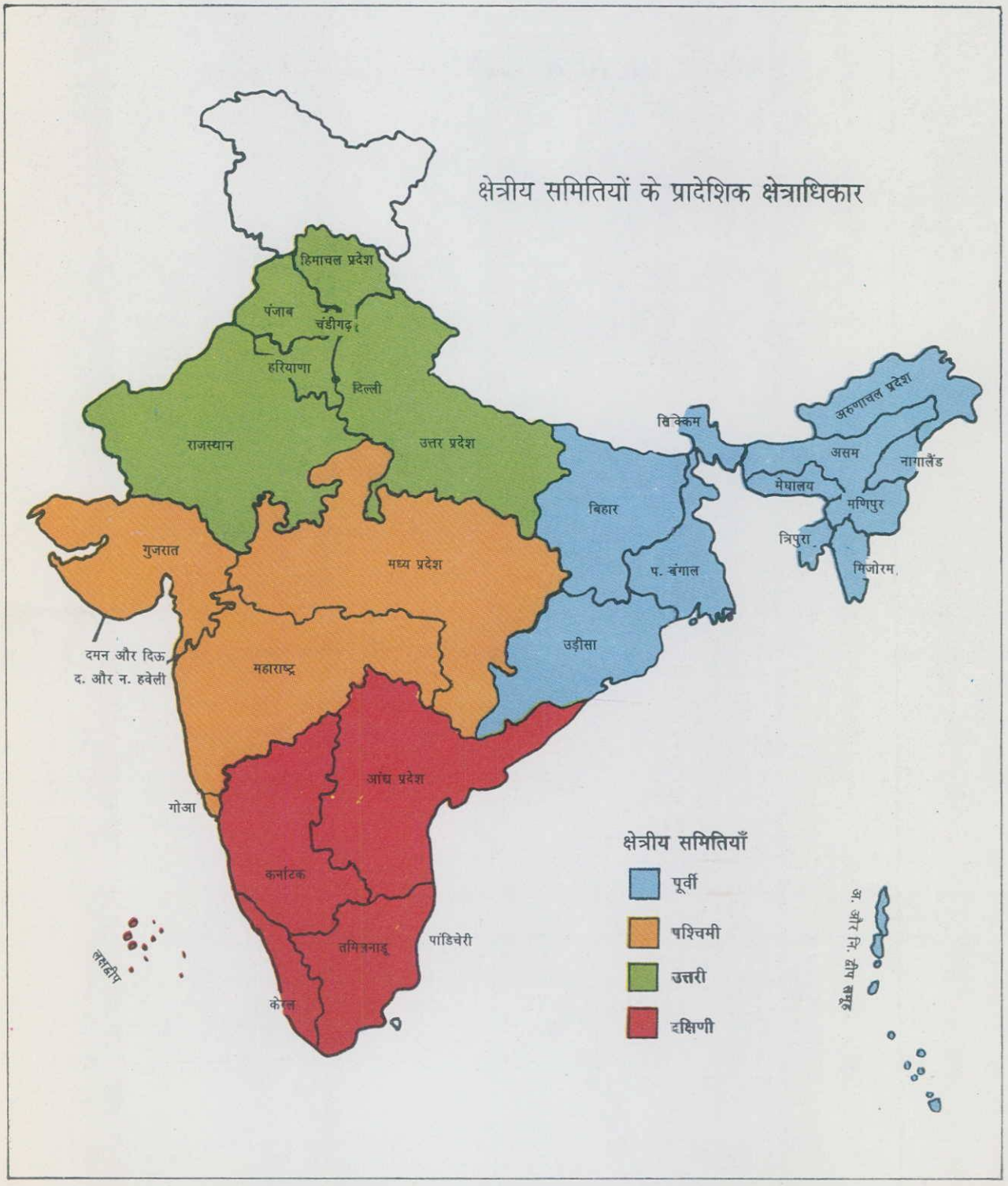
क्षेत्रीय समितियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
चंडीगढ़
हरियाणा
दिल्ली
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश
असम
नागालैंड
मेघालय
मणिपुर
त्रिपुरा
मिजोरम
बिहार
प. बंगाल
उड़ीसा
गुजरात
मध्य प्रदेश
दमन और दिऊ
द. और न. हवेली
महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश
गोआ
कर्नाटक
तमिलनाडु
पांडिचेरी
केरल
लक्षद्वीप
क्षेत्रीय समितियाँ
पूर्वी
पश्चिमी
उत्तरी
दक्षिणी

अनुबन्ध V

पूर्व क्षेत्रीय समिति–रचना

अध्यक्ष

डा. आर. सी. दास

परिषद् द्वारा नामित सदस्य

[धारा 20(3) (क)]

प्रोफेसर, ओ. एस. देवल

क्षेत्र के राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

[धारा 20(3) (ख)]

1. श्री के. मणिसिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मणिपुर
2. श्री ज्योति भूषण दत्त, सहायक प्रोफेसर, उच्च अध्ययन संस्थान (पूर्व डेविड हेयर ट्रेनिंग कालेज) कलकत्ता
3. डा. सी वोफलैंग, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मेघालय
4. डा. पु. एफ. लुल्लुरा, संयुक्त निदेशक (प्रारम्भिक) विद्यालय शिक्षा, मिजोरम
5. श्री एन. राय, वरिष्ठ व्याख्याता, शिक्षा विभाग, (विद्यालय शिक्षा) त्रिपुरा
6. श्री एन. के. दत्त, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
7. श्री जी. के. बख्शी, संयुक्त निदेशक, शिक्षा आयोजना एवं अध्यापक शिक्षा, सिक्किम
8. प्राचार्य, नागालैंड शिक्षा महाविद्यालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा
9. अपर सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
10. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, असम

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामित छः विशेषज्ञ

[धारा 20 (3) (ब)]

1. डा. आर.सी. दास (अध्यक्ष)
2. प्रो. आर.पी. सिंह
3. प्रो. एस.सी. दास
4. डा. एम.ए. सुधीर
5. डा. श्रीमती नन्दिता शर्मा
6. डा. भावेश मोइत्रे

अनुबन्ध VI

पश्चिम क्षेत्रीय समिति—रचना

अध्यक्ष

प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी

परिषद् द्वारा नामित सदस्य

[धारा 20(3) (क)]

डा. (सुश्री) वीना मिस्त्री

क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

[धारा 20 (3) (ख)]

1. श्री पी.वी. सलेलकर, उप निदेशक (शिक्षा), गोआ
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधन एवं प्रशक्षिण परिषद्, भोपाल
3. श्री डी.बी. जोशी, मुख्य अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, वारकुंड, दमन
4. श्री आर.के. चौधरी, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिष्द्, अहमदाबाद, गुजरात
5. सचिव, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, पुणे

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा नामित छः विशेषज्ञ

[धारा 20 (3) (ग)]

1. प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी (अध्यक्ष)
2. श्री पुरुषोत्तम ए. पटेल
3. डा. वसन्त देशपांडे
4. डा. शालिनी मोघे
5. डा. ए.एन. कौल अदालती
6. डा. (सुश्री) जी.जे. केरावाला

अनुबन्ध VII

उत्तर क्षेत्रीय समिति—रचना

अध्यक्ष

श्री चतर सिंह मेहता

परिषद् द्वारा नामित सदस्य

[धारा 20 (3) (क)]

श्रीमती शारदा जैन

क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

[धारा 20(3) (ख)]

1. श्रीमति नवराज संधु, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
2. श्री एम.एल. सचदेवा, उप-निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (पंजाब), चण्डीगढ़
3. श्री जसवंत सिंह, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, चण्डीगढ़
4. डा. टी.के बहल, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, चण्डोगढ़
5. शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश
6. श्री के.के. भसीन, निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
7. श्री वेद प्रकाश, अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन), दिल्ली

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा नामित छः विशेषज्ञ

[धारा 20(3) (ग)]

1. श्री चतर सिंह मेहता (अध्यक्ष)
2. प्रोफेसर एस.एन. सिंह
3. प्रोफेसर आर.एन. मेहरोत्रा
4. प्रोफेसर एम.ए. खादर
5. डा. जे.एन. जोशी
6. प्रोफेसर सी.एल. कुंडू

अनुबन्ध VIII

दक्षिण क्षेत्रीय समिति—रचना

अध्यक्ष

श्री के.पी. सुरेन्द्रनाथ

परिषद् द्वारा नामित सदस्य

[धारा 20(3) (क)]

डा. सी.एल. आनन्द

क्षेत्र के राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि

[धारा 30(3) (ख)]

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर
2. श्री लक्ष्मणन, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवन्तपुरम, केरल
3. श्री वाय. मस्तान रेड्डी, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हैदराबाद
4. निदेशक, शिक्षक शिक्षा एवं अनुसंधान प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षा विभाग, मद्रास
5. शिक्षा निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, लक्षद्वीप
6. श्री पी. मुथु, संयुक्त निदेशक, पांडिचेरी सरकार

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा नामित छः विशेषज्ञ

[धारा 20 (3) (ग)]

1. श्री के.पी. सुरेन्द्रनाथ (अध्यक्ष)
2. डा. के. गोपालन
3. प्रोफेसर मल्ला रेड्डी
4. प्रोफेसर सुकुमारन नायर
5. डा. एस. लक्ष्मी
6. डा. एस.जी.टी.वी. आचार्युलु

अनुबन्ध IX

क्षेत्रीय समितियों के कार्यालयों के पते

पूर्व क्षेत्रीय समिति

क्षेत्रीय निदेशक,
पूर्व क्षेत्रीय समिति
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्),
प्लाट नं. एन 2/88,
आई.आर.सी. ग्राम, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751015
टेलीफोन नं. (0674) 418349/420927
फैस नं. 418349

उत्तर क्षेत्रीय समिति

क्षेत्रीय निदेशक,
उत्तर क्षेत्रीय समिति,
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्),
ए. 46, तिलक नगर, शांति पथ,
जयपुर-302004
टेलीफोन नं. 620116

पश्चिम क्षेत्रीय समिति

क्षेत्रीय निदेशक,
पश्चिम क्षेत्रीय समिति
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्),
मानस भवन,
श्यामला हिल्ज़,
भोपाल-562002
टेलीफोन नं. (0755) 530912/739672 (निवास)

दक्षिण क्षेत्रीय समिति

क्षेत्रीय निदेशक,
दक्षिण क्षेत्रीय समिति
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्),
नं. 66, छटा मेन,
चौथा ब्लाक, राजाजी नगर,
बंगलौर-650010
टेलीफोन नं. 3384654/3306590

अनुबन्ध X

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदनों सम्बन्धी तालिका—31 मार्च, 1996 तक

क्षेत्र	पूर्व-प्राथमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक		विशेष		कुल
राज्य/संघ	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	कुल
पूर्व									
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	—	—	—	—	5	—	—	—	5
बिहार	—	—	2	—	3	—	—	—	5
मणिपुर	—	—	—	—	2	—	—	—	2
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	1	—	69	—	17	—	—	—	87
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	1	—	2	—	2	—	—	—	5
त्रिपुरा	—	—	2	—	—	—	—	—	2
अंडमान एवं निकोवार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम									
गोआ	—	—	—	—	1	—	—	—	1
गुजरात	3	—	21	—	18	—	3	—	45
मध्य प्रदेश	4	2	42	4	26	11	1	—	90
महाराष्ट्र	2	1	3	1	17	—	2	—	26
दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दमन एवं दिऊ	—	—	—	—	—	—	—	—	—

क्षेत्र	पूर्व-प्राथमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक		विशेष		कुल
राज्य/संघ	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	कुल
उत्तर									
हरियाणा	—	2	—	2	16	—	—	—	20
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	—	—	—	1
पंजाब	—	1	1	—	13	—	—	—	15
राजस्थान	1	—	22	1	33	—	—	—	57
उत्तर प्रदेश	1	4	—	4	4	3	—	—	16
चण्डीगढ़	—	—	—	1	1	—	—	—	2
दिल्ली	7	5	5	15	3	7	—	—	42
दक्षिण									
कर्नाटक	14	1	111	53	62	23	39	2	305
तमिलनाडु	4	13	108	221	18	28	15	—	407
केरल	—	1	—	1	17	—	8	—	27
आंध्र प्रदेश	—	3	29	9	—	—	10	—	51
पांडिचेरी	—	—	1	2	—	1	—	—	4
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्तगर्त
मान्यता प्राप्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की तालिका—31 मार्च, 1996 तक

क्षेत्र	पूर्व-प्राथमिक		प्रारम्भिक		माध्यमिक		विशेष		कुल
राज्य/संघ	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	विद्यमान	नए	कुल
पूर्व	2	—	75	—	29	—	—	—	106
पश्चिम	9	3	66	5	62	11	6	—	162
उत्तर	9	13	28	23	70	10	—	—	153
दक्षिण	18	18	249	286	97	52	72	2	794
कुल	**38**	**34**	**418**	**314**	**258**	**73**	**78**	**2**	**1215**

'विद्यमान' में वे संस्थाएं उल्लिखित हैं जो 17 अगस्त, 1995 से तुरन्त पहले शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चला रहे हैं।
'नए' में वे संस्थाएं हैं जो 17 अगस्त, 1995 के बाद शुरू करना चाहती हैं।
'विशेष' में वे संस्थाएं उल्लिखित हैं जो सी.पी.एड., बी.पी.एड., हिन्दी शिक्षक आदि के पाठ्यक्रम चलाती हैं।

अनुबन्ध XI

सेवारत अध्यापकों के बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश

अधिक्षेत्र	:	प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो इस समय उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, जो इस अधिनियम/राज्य सरकार द्वारा उसके लिए निर्धारित भू-भागीय अधिक्षेत्र में स्थित है।
पात्रता के लिए मानदण्ड	:	स्नातक या अन्य स्तरों पर प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिले के लिए निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी योग्यताएं वही रहेंगी जो अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है अथवा नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित है। दाखिले एक लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद किए जाएंगे।
पाठ्यक्रम	:	माध्यमिक अध्यापकों के लिए बी.एड. का दूरवर्ती शिक्षा माध्यम।
स्थान संख्या	:	किसी भी निर्धारित शिक्षा सत्र में कोई भी विश्वविद्यालय 500 से अधिक प्रत्याशियों का दाखिला नहीं होगा।
अवधि	:	बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए 24 माह : प्रवेश परीक्षा, दाखिला आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे समय को छोड़कर।
शिक्षण-शुल्क	:	वही जो विश्वविद्यालय के अन्य बी.एड. के प्रत्याशियों पर लागू है किन्तु मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य सामग्री, डाकखर्च, पुस्तकालय सेवाएं आदि के खर्च के रूप में विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है।
प्रवेश के लिए योग्यताएं	:	केवल वही नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय के अधिक्षेत्र में स्थित मान्यता-प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक) में काम कर रहे हैं और जिन्हें पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।

कार्यक्रम के संघटक भाग

(क) दूरवर्ती शिक्षा के लिए उपरोक्त फोर्मेट में स्वयं पढ़कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री। नमूने के रूप में मुद्रित सामग्री का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जनसंचार केन्द्रों, सी. आई. ई. टी. तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से परामर्श करके दृश्य-श्रव्य सामग्री (पैकेजेज) की व्यवस्था।

(ग) नियमित निर्दिष्ट कार्य (एसाइनमेंट) जिसका निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन हो। प्रति सिमेस्टर और प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम के लिए एक एसाइनमेन्ट (निर्दिष्ट कार्य) रहेगा।

(घ) चार सप्ताह की अवधि के लिए इन्टर्नशिप (आवासी शिक्षण) जिसके दौरान प्रशिक्ष अध्यापक उस विद्यालय में जहां वे

कार्यरत हैं, कम से कम 40 पाठ पढ़ाने का काम प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विभागों के नियमित अध्यापक-शिक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

(ड़) बारह सप्ताह अर्थात् प्रतिदिन छः घंटे के अनिवार्य संपर्क कार्यक्रम के 72 दिन। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा ही चलाए जाएंगे, कोई और इन्हें नहीं चला सकेगा। इस अवधि के दौरान यह देखने के लिए कि अपनी इन्टर्नशिप के दौरान प्रत्याशी अध्यापन कार्य में किस सीमा तक दक्षता हासिल कर सके हैं, विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार किया जाएगा। किसी भी संपर्क कक्षा में, एक समूह में, 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षार्थी नहीं रहेंगे।

(च) संपर्क कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि को छोड़कर परीक्षाएं अन्य निर्धारित दिनों में ली जाएंगी। संपर्क/व्यावहारिक कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति में छूट, जो 20 प्रतिशत से अधिक मामलों में ही दी जाएगी, अपवादस्वरूप केवल विशेष मामलों में ही दी जाएगी, सामान्य नियम के रूप में नहीं।

कर्मचारी वर्ग : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के समूह के लिए दस प्रमुख शिक्षण (कोर फैकल्टी) तथा दस अतिरिक्त अंशकालिक दस शिक्षक (स्ट्रांग फेकल्टी) रहेंगे। नियमित पूर्णकालिक प्रमुख शिक्षक-वर्ग की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार होंगी। अंशकालिक शिक्षक वर्ग की भी समान योग्यताएं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को जो 65 वर्ष की आयु का हो चुका है, अंशकालिक शिक्षण वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

अनुबन्ध XII

1995–96 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित विनियमों को दर्शाने वाला चार्ट

क्रम सं.	शीर्षक	अधिसूचना संख्या और तिथि	भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या और तिथि
1.	क्षेत्रीय समितियों की स्थापना और क्षेत्राधिकार	एफ. 28-9/95-एन.सी.टी.ई. दि. 13 दिसम्बर, 1995	न. 1. भाग III अनुभाग 4 दि. 6 जनवरी, 1996
2.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समितियों की स्थापना	एफ. 28-9/95-एन.सी.टी.ई. दि. 13 दिसम्बर, 1995	न. 1. भाग III अनुभाग 4 दि. 6 जनवरी, 1996
3.	क्षेत्रीय समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	एफ. 28-4/95-एन.सी.टी.ई. दि. 26 दिसम्बर, 1995	न. 8. भाग III अनुभाग 4 दि. 24 फरवरी, 1996
4.	मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन, इन्हें प्रस्तुत करने की रीति, संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शर्तें निश्चित करना और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति	एफ. 28-11/95-एन.सी.टी.ई. दि. 28 दिसम्बर, 1995	न. 8. भाग III अनुभाग 4 दि. 24 फरवरी, 1996
5.	परिषद् की बैठकों सम्बन्धी प्रक्रिया और ऐसी बैठकों के लिए कोरम	एफ. 28-5/95-एन.सी.टी.ई. दि. 10 जनवरी, 1996	न. 8. भाग III अनुभाग 4 दि. 24 फरवरी, 1996
6.	क्षेत्रीय समितियों के लिए नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल और देय भत्ते	एफ. 28-14/95-एन.सी.टी.ई. दि. 22 जनवरी, 1996	न. 15. भाग III अनुभाग 4 दि. 13 अप्रैल, 1996
7.	कार्यकारिणी समिति के कोरम, सहयोजन और बैठकों सम्बन्धी मामले	एफ. 28-7/95-एन.सी.टी.ई. दि. 29 फरवरी, 1996	न. 15. भाग III अनुभाग 4 दि. 13 अप्रैल, 1996

अनुबन्ध XIII

अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने और नए कार्यक्रम शुरू करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त—राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाना

प्रस्तावना

अध्यापकों की गुणवत्ता और व्यावसायिक दक्षता विद्यार्थियों को अत्युत्तम शिक्षा प्रदान करने और उन्हें ठोस मूल्य-तन्त्र सहित अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता देने वाले मूल तत्व हैं। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित और विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक रूप से दक्ष हों। बी.एड., एम.एड., और पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए शिक्षा महाविद्यालयों तथा प्राथमिक, अवर आधारभूत, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करने हेतु शिक्षक शिक्षा संस्थाओं की संख्या काफी अधिक है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई हैं। साधारण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के साथ-साथ कई विश्वविद्यालय पत्राचार-दूरवर्ती विधि से भी शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं।

अध्यापकों की गुणवत्ता बनाए रखने और विद्यार्थियों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। 1993 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अध्यापक जनशक्ति की पर्याप्त आपूर्ति और उसके उच्च स्तर को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने, उनके अकादमिक कार्यक्रमों तथा भर्ती क्षमता का अनुमोदन करने हेतु कुछ सामान्य नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त सूचित किए गए हैं।

शिक्षक शिक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के आशय से, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं :

1. सरकार, निजी प्रबन्धन अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना अधिकांशतः प्रशिक्षित अध्यापकों की अनुमानित आवश्यकता के अनुरूप ही निर्धारित की जानी चाहिए। इस आवश्यकता हेतु विद्यमान संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की आपूर्ति, विभिन्न स्तरों पर भर्ती प्रक्षेपण के सम्बन्ध में अध्यापकों की मांग, सेवा-निवृत्ति, व्यवसाय में परिवर्तन, मृत्यु आदि के कारण प्रशिक्षित अध्यापकों के संघर्षण (कमी) की दर, रोजगार कार्यालयों से सजीव रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या तथा उनकी तैनाती की सम्भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए।

   जिन राज्यों में पहले ही आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षित अध्यापक हैं, वे शिक्षक शिक्षा के लिए नए संस्थान खोलने या भर्ती संख्या बढ़ाने को प्रोत्साहित न करें।

2. जिन राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, वे अगले 10-15 वर्षों के लिए अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नई शिक्षक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और विभिन्न स्तरों की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में भर्ती क्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

3. ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाए जो ऐसे विषयों (जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि), जिनके लिए विद्यालयों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, के लिए अध्यापकों की तैयारी पर बल देती हों।

4. शिक्षक तैयारी के सामान्य पाठ्यक्रमों के अलावा जो संस्थाएं नए और उभरने वाले विशेष विषयों (यथा कम्प्यूटर शिक्षा,

इलैक्ट्रानिक माध्यमों का प्रयोग, मार्गदर्शन और परामर्श आदि) पर कार्य करना चाहती हों, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। फिर भी इस का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के पश्चात ही करना चाहिए कि अपेक्षित जनशक्ति, उपकरण तथा मूलभूत ढांचा उपलब्ध हैं। वही विचार उन संस्थाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जो विद्यार्थियों द्वारा चुने जाने वाले वैकल्पिक विषयों जैसे मार्गदर्शन और परामर्श, विशेष शिक्षा आदि का प्रावधान करना चाहते हैं।

5. विकलांगों की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि जैसे विशेष विषयों के लिए अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित अध्यापकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन निजी प्रबन्धनों/स्वयंसेवी संगठनों को संस्थान स्थापित करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं और प्रोत्साहन दिए जाएं, जो इन विषयों पर विशेष ध्यान देते हों।
6. भावी अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए जो प्राचार्य और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा तथा विद्यार्थियों के बड़े अनुपात के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधा सुनिश्चित कर सकें।
7. इस विचार से कि कुछ क्षेत्र (आदिवासी, पवर्तीय क्षेत्र आदि) अर्हता-और प्रशिक्षित अध्यापक आकर्षित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए।
8. संस्थाओं को तभी अस्तित्व में आने दिया जाए जब उनके प्रवर्तक यह सुनिश्चित करने में सक्षम हों कि उनके पास पर्याप्त सामग्री और संसाधन जैसे अर्हता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षक तथा अन्य कर्मचारीगण, आवश्यक भवन, तथा अन्य मूलभूत ढांचा (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि), आरक्षित निधि और संस्था की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे वेतन का भुगतान, उपकरणों का प्रावधान आदि के लिए प्रचालन निधि उपलब्ध हैं। विज्ञान शिक्षण पद्धतियों और प्रयोगों के लिए प्रयोगशालाओं में पर्याप्त गैस संयन्त्र, उपयुक्त फिटिंग और बिजली, पानी आदि की नियमित सप्लाई होनी चाहिए। उनमें पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध भी रहना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप संस्था की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
9. संस्था स्थापित करते समय उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाए जहां विभिन्न स्तरों के विद्यालय हों ताकि वहां शिक्षक शिक्षणार्थी प्रदर्शन पाठों को स्पष्ट रूप से देख सकें और शिक्षण अभ्यास कर सकें। ऐसी प्रशिक्षण संस्था को, जिसमें एक प्रदर्शन विद्यालय हो जहां अभिनव और प्रयोगात्मक प्रस्तावों का प्रदर्शन किया जा सकता हो, प्राथमिकता दी जा सकती है।

अनुबन्ध *XIV*

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

16, महात्मा गांधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

31 मार्च, 1996 तक की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

देयभार	राशि (रुपयों में)	परिसम्पत्तियां	राशि(रुपयों में)	
निधि (94-95)	3655096.85	**स्थिर परिसम्पत्तियां**		
व्यय से आय की अधिकता	3871082.57	मशीनरी और उपस्कार	1070605.00	
		(मुख्यालय 94-95)		
प्रतिभूति जमा	5000.00	परिवर्धन 95-96	2604226.00	6040437.80
		क्षेत्रीय समितियां	2365606.80	
		फर्नीचर एवं जुड़नार		
		मुख्यालय (94-95)	54732.00	
		परिवर्धन (94-95)	1579238.00	
		क्षेत्रीय समितियां 95-96	1054872.00	2688842.20
		स्टाफ कार 94-95	200185.00	
		परिवर्धन (95-96)	280955.00	481140.00
		पुस्तकालय जालतन्त्र/		
		प्रलेखीकरण (95-96)	**शून्य**	
		परिवर्धन (95-96 मुख्यालय)	518093.00	
		क्षेत्रीय समितियां (95-96)	131550.20	649643.20
		चालू परिसम्पतियां		
		विविध अग्रिम		
		(95-96 मुख्यालय)	910025.00	
		क्षेत्रीय समितियां	152712.00	
		संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यगोष्ठी		
		आदि के लिए अग्रिम		
		(95-96 मुख्यालय)	1,352991.20	
		एम.टी.एन.एल. के पास जमा (मुख्यालय)	78000.00	
		क्षेत्रीय समितियां (95-96)	109540.00	
		चालक के पास अग्रदाय	300.00	
				2603568.20
		अंत अतिशेष		
		रोकड़ (मुख्यालय)	17079.00	
		रोकड़ (क्षेत्रीय समितियां)	997.43	
		बैंक (मुख्यालय)	383293.75	
		बैंक (क्षेत्रीय समितियां)	4666227.84	5067548.00
कुल	17531179.42		कुल	17531179.42

ह. कनिष्ठ लेखा अधिकारी   ह. उप सचिव   ह. सदस्य सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

16, महात्मा गांधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वर्ष 1995-96 का आय एवं व्यय खाता

व्यय	राशि (रुपयों में)	आय	राशि (रुपयों में)	
वेतन	1567104.65	सहायक अनुदान		
मजदूरी	159121.00	भा. सं. वि. सं. (शि.विभाग) से अनुदान	20000000.00	
समयोपरि भत्ता	23693.00	यूनेस्को से अनुदान	182100.00	
पेशन पर खर्च	70617.00	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से अनुदान	25000.00	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1752.00			20207100.00
छुट्टी यात्रा रियायत	10031.00	विविध प्राप्तियां		
किराया सहायित	45979.00	मान्यता शुल्क	2627060.00	
परामर्शदाता शुल्क	128978.00			
संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यगोष्ठी आदि	1038446.00	फार्मों का विक्रयागम	264800.00	
प्रतिभागियों का मानदेय	63100.00	निवेश पर ब्याज	14367.00	
प्रतिभागियों का मार्ग व्यय	12510.00	बैंक से ब्याज	2926.00	
अतिथ्य व्यय	84661.00	हिन्दुस्तान मोटर्स से ब्याज	386.00	
मानवाधिकारों पर व्यय	225885.00	स्टाफ कार का प्रयोग	4516.00	
मार्ग व्यय (अधिकारी)	21079.00	फार्म भेजने का डाक व्यय	95.00	
यात्रा व्यय (अन्तर्देशीय)	217139.00	कार्यालय टेलीफोन का प्रयोग	26.00	
यात्रा व्यय (विदेश)	1562.00			2914176.00
टैक्सियों का किराया	170109.00			
लेखा परीक्षा शुल्क	8295.00			
विज्ञापन	308227.00			
स्टाफ कार पेट्रोल प्रभार	45607.00			
विविध प्रभार	13690.00			
रखरखाव एवं मरम्मत प्रभार (स्टाफ कार सहित)	244184.00			
विविध कार्यालय व्यय	639424.00			
डाक टिकट एवं तार	64108.00			
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	472280.00			
कार्यालय भवन का किराया	3209473.00			
टेलीफोन प्रभार	376308.60			
बागवानी	890.00			
बैंक प्रभार	967.00			
अनुदान की वापसी (एम.एल.एल. कार्यक्रम)	25000.00			
व्यय से आय की अधिकता	13871082.57			
कुल (रु.)	23121276.00		कुल (रु.)	23121276.00

हस्तारक्षर
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ताक्षर
उप-सचिव

हस्ताक्षर
सदस्य-सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

16, महात्मा गांधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वर्ष 1995-96 का प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियां	राशि (रुपयों में)	भुगतान	राशि (रुपयों में)
आदिशेष		वेतन	156704.65
		मजदूरी	159121.00
रोकड़	2396.00	समयोपरि भत्ता	23693.00
बैंक	282025.95	पेंशन प्रभार (छुट्टी वेतन/पीसी/उपादान)	70617.00
	284422.85	चिकित्सा प्रतिभूति	1752.00
सहायता अनुदान		छुट्टी यात्रा रियायत	10031.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान	20000000.00	पट्टे पर ली गई जगह का किराया और किराया सहायता	45979.00
यूनेस्को से अनुदान	182100.00	परामर्शदाताओं को भुगतान की गई राशि	128978.00
		संगोष्ठी/बैठक/कार्यगोष्ठी आदि (यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता)	1038446.00
एन.सी.ई.आर.टी.से अनुदान	25000.00	प्रतिभागियों का मानदेय	63100.00
	20207100.00		
बकाया अग्रिम (94-95)		प्रतिभागियों का स्थानीय मार्ग व्यय	12510.00
		आतिथ्य व्यय	84661.00
एम.टी.एन.एल.	138000.00	मानव अधिकारों पर व्यय	225855.00
विविध अग्रिम	1907152.00	वाहन खर्च (कार्यालय)	21079.00
	2045152.00		
		यात्रा व्यय (अन्तर्देशीय)	217139.00
		यात्रा व्यय (विदेश)	1562.00
विविध प्राप्तियां			
मान्यता शुल्क	2627060.00	टैक्सियों का किराया	170109.00
फार्मों का विक्रयागम	264800.00	लेखा परीक्षा शुल्क	8295.00
निवेश पर ब्याज	14367.00	विज्ञापन	308227.00
बैंक ब्याज	2926.00	स्टाफ कार हेतु पेट्रोल	45607.00
हिन्दुस्तान मोटर्स से ब्याज	386.00	विविध प्रभार	13690.00
		रखरखाव एवं मरम्मत खर्च (स्टाफ कार समेत)	244184.00
स्टाफ कार का प्रयोग	4516.00	विविध कार्यालय व्यय	639424.38
फार्म भेजने पर डाक व्यय	95.00	डाक एवं तार	64108.00
		मुद्रण एवं लेखन सामग्री	472280.00
कार्यालय टेलीफोन का प्रयोग	26.00	कार्यालय भवन का किराया	9209473.00
	2914176.00		
		टेलीफोन प्रभार	376308.00
		बागवानी	890.00
		बैंक प्रभार	967.00
		मशीनरी एवं उपस्कार	4969832.00

क्रमशः

प्राप्तियां	राशि (रुपयों में)	भुगतान			राशि (रुपयों में)
प्रतिभूति निक्षेप	5000.00	फर्नीचर एवं जुड़नार			2634110.00
		पुस्तकालय जालतंत्र एवं प्रलेखीकरण			649643.20
		स्टाफ कार की खरीद			280955.00
		अनुदान की वापसी (एम.एल.एल. कार्यक्रम)			25000.00
		अग्रदान			300.00
		समायोजित न किया गया अग्रिम/जमा :			
		एम.टी.एन.एल.(मुख्यालय)	78,000.00	(क)	अनुबन्ध क
		क्षेत्रीय समितियां (टेलीफोन)	109540.00	(ख)	से ड़
		संगोष्ठी सम्मेलन/कार्यगोष्ठी (मुख्यालय)	1352991.00	(ग)	संलग्न हैं।
		विविध अग्रिम (मुख्यालय)	910025.00	(घ)	
		विविध अग्रिम (क्षेत्रीय समितियां)	152712.00	(ङ)	
					2603268.20
		अन्त अतिशेषः			
		रोकड़ (मुख्यालय)	17079.00		
		रोकड़ (क्षेत्रीय समितियां)	997.00		
		बैंक (मुख्यालय)	383243.00		
		बैंक (क्षेत्रीय समितियां)	4666227.84		
					5067548.02
कुल (रुपयों में)	25455850.85	कुल (रुपयों में)			25455850.85

हस्ताक्षर
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ताक्षर
उपसचिव

हस्ताक्षर
सदस्य-सचिव

अनुबन्ध 'क'

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

टेलीफोन कनेक्शन के सम्बन्ध में महानगर टेलीफोन निगम के पास
बकाया जमा का विवरण

क्रम संख्या	भुगतान की तिथि	संगठन का नाम	राशि (रुपयों में)
1.	1994-95	महानगर टेलीफोन विभाग, नई दिल्ली (94-95 अग्रनीत)	18,000.00
2.	19.07.95	.... वही	30,000.00
3.	31.08.95	.... वही	15,000.00
4.	04.01.96	.... वही	15,000.00
		कुल (रुपयों में)	78,000.00

ह.
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

ह.
उप सचिव

अनबन्ध 'ख'

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

1995-96 के दौरान क्षेत्रीय समितियों द्वारा टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जमा राशि की तालिका

क्रम सं.	क्षेत्रीय समिति का नान	राशि (रुपये)
1.	पूर्व क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर	47,640.00
2.	पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल	....
3.	उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर	31,900.00
4.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलौर	30,000.00
	कुल (रुपये)	1,09,540.00

ह.
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

ह.
उप सचिव

अनुबन्ध 'ग'

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यगोष्ठी आदि के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि जिसका 1995-96 के दौरान समायोजन नहीं हुआ

क्र. सं.	भुगतान की तिथि	संस्था/संगठन का नाम	राशि (रुपये)
1.	18.04.94	प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण विद्यालय, पटना	60,000.00
2.	20.07.95	अध्यक्ष, नारायणा शिक्षा एवं विकास संस्था, वाराणसी	15,000.00
3.	27.07.95	प्रो. जी.डी. शर्मा, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	5,000.00
4.	29.08.95	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, मणिपुर	50,000
5.	20.09.95	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	40,000.00
6.	20.09.95	प्रशासन अकादमी, भोपाल	15,000.00
7.	26.10.95	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल	30,000.00
8.	17.11.95	---वही---	1,00,000.00
9.	29.11.95	महासचिव, आई.ए.टी.ई., कुरुक्षेत्र	30,000.00
10.	18.12.95	प्राचार्य, बी.बी.के.डी.ए.वी. महाविद्यालय, अमृतसर	18,000.00
11.	18.12.95	अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	15,000.00
12.	19.12.95	अध्यक्ष, भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे हेतु	16,991.20
13.	19.12.95	अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय	50,000.00
14.	29.01.96	अध्यक्ष, महिला शिक्षा विशेष विभाग, एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई	1,00,000.00
15.	03.02.96	डा. एम.एस. ललितम्मा, मैसूर विश्वविद्यालय	8,000.00
16.	27.02.96	निदेशक, लेडी इर्विन कॉलेज, नई दिल्ली	1,00,000.00
17.	29.03.96	प्रबन्ध न्यासी, निरन्ना शिक्षा एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	50,000.00
18.	29.03.96	रजिस्ट्रार, आइ.ए.एस.ई., गुजरात, अहमदाबाद	50,000.00
19.	29.03.96	प्रबन्ध न्यासी, निरन्ना शिक्षा एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	4,00,000.00
20.	30.03.96	भारत में विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिषद्	2,00,000.00
		कुल (रुपये)	13,52,991.20

ह.
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

ह.
उप सचिव

अनुबन्ध 'घ'

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

मुख्यालय (95-96) के 31.03.96 तक समायोजित न होने वाले बकाया विविध अग्रिमों का विवरण दर्शाती तालिका

क्र.सं.	भुगतान की तिथि	ब्योरा	राशि (रुपये)
1.	29.01.95	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	15,000.00
2.	28.07.95	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली	16,000.00
3.	20.12.95	डी.ए.वी.पी. विज्ञापन हेतु	10,000.00
4.	12.01.96	--- वही ---	1,00,000.00
5.	23.01.96	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली	3,000.00
6.	23.01.96	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	2,250.00
7.	29.01.96	--- वही ---	6,000.00
8.	19.02.96	श्री सोहन स्वरूप, अवर सचिव को खरीददारी के लिए	1,500.00
9.	20.02.96	डी.ए.वी.पी. विज्ञापन हेतु	2,50,000.00
10.	15.03.96	मैसर्ज राजीव मोटर्स (प्राइवेट)	25.00
11.	04.03.96	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	47,250.00
12.	19.03.96	श्री डी.के. श्रीवास्तव	5,000.00
13.	20.03.96	डा. किरण वालिया, पी.ओ. को खरीददारी के लिए	5,000.00
14.	22.03.96	कु. कणिका सूदन, आशुलिपिक को खरीददारी के लिए	3,000.00
15.	29.03.96	डी.ए.वी.पी. विज्ञापन हेतु	1,71,000.00
16.	30.03.96	प्रकाशन नियंत्रक	50,000.00
17.	30.03.96	जेनरेटर के लिए मेसर्ज़ संजय डीज़ल	2,25,000.00
		कुल (रुपये)	9,10,025.00

ह.
कनिष्ठा लेखा अधिकारी

ह.
उप सचिव

अनुबन्ध 'ङ'

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली

क्रम सं.	क्षेत्रीय समिति का नाम	राशि (रुपये)
1.	पूर्व क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर	20,000,00
2.	पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल	1,01,000,00
3.	उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर	--
4.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति, बंगलौर	31,712,00
	कुल (रुपये)	1,52,712,00

ह.
कनिष्ठ लेखा अधिकारी

ह.
उप सचिव